संख्या: 79/2021/1657/छप्पन-2021-02(सा0)/2020

प्रेषक,

विशाख जी0,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 18 अगस्त, 2021

विषय: उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व की हवाई पट्टियों व वहाँ पर स्थित अन्य परिसम्पत्तियों को निजी संस्थाओं द्वारा उड्डयन क्षेत्र में प्रशिक्षण व अन्य गतिविधियां संचालित करने के लिए अनुमति दिए जाने के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व की हवाई पट्टियों व वहाँ पर स्थित अन्य परिसम्पत्तियों को निजी संस्थाओं द्वारा उड्डयन क्षेत्र में प्रशिक्षण व अन्य गतिविधियां संचालित करने के लिए अनुमति दिए जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु मा0 मन्त्रि-परिषद की दिनांक 16 अगस्त, 2021 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किए गए प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में श्री राज्यपाल निम्नलिखित नीति निर्धारित करती हैं:-

(1) नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा चयनित संगठनों (फ्लाइंग क्लब/ऐकेडमी) को अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अन्धऊ (गाजीपुर), श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, धनीपुर (अलीगढ़), अमहट (सुल्तानपुर), म्योरपुर (सोनभद्र), सैफई (इटावा), पलिया (खीरी), झाँसी, रसूलाबाद (कानपुर देहात), आजमगढ़ व चित्रकूट जनपदों में स्थित कुल 13 हवाई पट्टियों तथा उन पर निर्मित परिसम्पत्तियों (हैंगर, भवन आदि) को उड्डयन क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

(2)(अ) नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ निम्नलिखित सुविधाएं चयनित संगठनों को उपलब्ध कराई जाएंगी:-

(i) चिन्हित हवाई पट्टी के उपयोग की अनुमति (एक हवाई पट्टी पर अधिकतम चार संगठनों को ही उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी),

(ii) यदि चिन्हित हवाई पट्टी पर हैंगर उपलब्ध है, तो अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर उपयोग की अनुमति,

(iii) यदि चिन्हित हवाई पट्टी पर कोई अन्य भवन एवं सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर उनके उपयोग की अनुमति,

(iv) प्रशिक्षण सुविधाएं सृजित करने हेतु उपलब्धता के आधार पर (अतिरिक्त शुल्क भुगतान पर) इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु न्यूनतम आवश्यक भूमि के उपयोग की अनुमति,

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(v) प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकतानुसार नाईट लैण्डिंग हेतु सैफई (जनपद इटावा) हवाई पट्टी का उपयोग (अतिरिक्त शुल्क जिसका निर्धारण निदेशक,नागरिक उड्डयन द्वारा किया जाएगा, के भुगतान पर) किए जाने की अनुमति |

(2)(ब) (i) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त हवाई पट्टियाँ राजकीय विमानों तथा चार्टर ऑपरेशन्स के लिए भी यथा-आवश्यकता उपयोग में लाई जा सकेंगी।

(ii) संगठन को अपने उद्देश्यों के लिए हवाई पट्टी के उपयोग की अनुमति 10 वर्षों के लिए अस्थाई तौर पर दी जाएगी और राज्य सरकार अपने विवेक पर 06 माह के नोटिस पर किसी भी समय इस अनुमति को वापस लेने के लिए स्वतन्त्र होगी, जिसपर संगठन द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाएगी और न ही राज्य सरकार द्वारा इसके लिए कोई भुगतान या प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(iii) उपयोग की अनुमति को वापस लेने तथा अनुबन्ध के निरस्तीकरण के नोटिस की प्राप्ति की तिथि से संगठन द्वारा किसी भी नए छात्र का पंजीकरण नहीं किया जाएगा; यदि किसी छात्र का पंजीकरण संगठन द्वारा किया जाएगा, तो ऐसी दशा में वह पंजीकरण वैध नहीं माना जाएगा।

(3) नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार किसी भी समय हवाईपट्टी, हैंगर एवं उससे सम्बन्धित अन्य अवस्थापना सुविधाओं का निरीक्षण तथा उनको उचित स्थिति में रखने के लिए संगठन को निर्देशित कर सकेगा।

(4) संगठन द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन होने के सम्बन्ध में नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष समीक्षा की जाएगी।

(5) संगठन द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोग के निमित्त राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी प्रकार की स्थाई अवसंरचना का निर्माण नहीं कराया जाएगा।

(6) संगठन का चयन ई-टैण्डरिंग व्यवस्था के द्वारा किया जाएगा तथाप्रति प्रशिक्षु निर्धारित शुल्क के अंश के अधिकतम का ऑफर (न्यूनतम 3 प्रतिशत) देने वाली संस्थाओं में से किया जाएगा।

(7) हवाई पट्टी एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ संगठन को 10 वर्षों के लिए उपयोग हेतु अनुबन्ध के आधार पर दी जाएंगी। अनुबन्ध की समाप्ति के पश्चात् संगठन के साथ निष्पादित अनुबन्ध नवीनीकृत नहीं किया जा सकेगा।

(8) संगठनों की भूमिका निम्नवत् होगी:-

(i) संगठन नागरिक उड्डयन विभाग की सहमति/ स्वीकृति से चिन्हित 13 हवाई पट्टियों में से किसी एक अथवा एक से अधिक हवाई पट्टी/ पट्टियों को उड्डयन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवेदन कर सकता है।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ii) संगठन को यथा आवश्यकतानुसार भारत के महानिदेशक, नागर विमानन तथा अन्य रैगुलेटरी संस्थाओं से अनुमोदन/अनापत्ति/लाइसैन्स प्राप्त करने होंगे तथा उनकी गाईडलाइन्स का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(iii) संगठन को प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाएं अपने व्यय पर सुनिश्चित करनी होंगी।

(iv) संगठन द्वारा हवाई पट्टी तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं का नागरिक उड्डयन विभाग अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य संस्था अथवा सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आदेशित किसी संस्था द्वारा प्रयोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी।

(v) संगठन को हैंगर, भवनों एवं अन्य प्रयुक्त अवसंरचनाओं का अपने व्यय पर अनुरक्षण एवं मरम्मत करानी होगी।

(vi) संगठन द्वारा प्रयोग की जा रही स्वयं की सम्पत्ति के बचाव व सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ अपने व्यय पर की जाएंगी। नागरिक उड्डयन विभाग किसी भी जान माल की क्षति हेतु उत्तरदायी न होगा; निजी संस्था का यह दायित्व होगा कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति हवाई पट्टी परिसर में प्रवेश न कर सके।

(vii) संगठन द्वारा चयनित हवाई पट्टी का उपयोग उन्हीं कार्यों हेतु किया जाएगा जिसके लिए उन्हें नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है; अनुमन्य गतिविधियों के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य निजी संस्था द्वारा नहीं किया जाएगा।

(viii) चयन के उपरान्त संगठन को रू0 10 लाख की धनराशि सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में बैंक गारण्टी/ फिक्स्ड डिपॉजिट/एनएससी अथवा जिस रूप में नागरिक उड्डयन विभाग स्वीकार करे, प्रस्तुत करनी होगी।

(ix) संगठन को हवाई पट्टी के उपयोग के लिए फीस के रूप में रू0 10.00 लाख की दर से 10 वर्षों के लिए अनुबन्ध के समय प्रथम 05 वर्षों के लिए एकमुश्त रू 50.00 लाख की धनराशि फीस के रूप में जमा करनी होगी और पॉचवें वर्ष के प्रथम माह में शेष 05 वर्षों के लिए एकमुश्त रू0 50.00 लाख धनराशि फीस के रूप में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त संगठन द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षुओं से चार्ज किए जा रहे शुल्क का ई-टैण्डर के माध्यम से विनिश्चित अंश प्रति प्रशिक्षु राज्य सरकार को त्रैमासिक आधार पर (प्रत्येक त्रैमास की 7 तारीख तक गत त्रैमास के लिए) राजस्व के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध कराना होगा।

(x) संगठन हवाई पट्टी का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा अधिकृत संगठन व उसके चिन्हित कार्मिकों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा संगठन को नहीं करने देगा।

(xi) संगठन को अपने उद्देश्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हवाई पट्टी पर बिजली, पानी आदि पर होने वाले व्यय को स्वयं वहन करना होगा।

(xii) संगठन को त्रैमासिक रूप से हवाई पट्टी पर की गयी फ्लाइंग सम्बन्धी गतिविधियों का फ्लाइंग स्टेटमैन्ट निदेशक, नागरिक उड्डयन को उपलब्ध कराना होगा।

4/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) उपर्युक्त प्रयोजन हेतु आवेदन के लिए संगठन द्वारा निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक रूप से पूर्ण करना आवश्यक होगा:-

(I) संगठन उड्डयन से सम्बन्धित क्रियाकलापों, जिन्हें वह करना चाहता हो, को संचालित करने के लिए भारत के अन्दर या उसके बाहर किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अुनमोदित होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों को अनुमोदित करने हेतु किसी अन्तरर्राष्ट्रीय प्राधिकरण की सक्षमता के सम्बन्ध में कोई विवाद/आशंका होने की स्थिति में भारत के महानिदेशक, नागर विमानन (डी0जी0सी0ए0) से अपेक्षित स्पष्टीकरण तथा मार्गदर्शन वांछित होगा और इस सम्बन्ध में डी0जी0सी0ए0 का विनिश्चय अंतिम होगा।

(II) संगठन के प्रबन्धक, अध्यक्ष और सदस्यों के लिए भारत का नागरिक होना अपेक्षित है। कोई फर्म होने की स्थिति में फर्म के भागीदार भारत के नागरिक होने चाहिए।

अथवा

एक समूह, जिसके सभी सदस्य भारत के नागरिक हों अथवा कोई न्यास/सोसायटी, जो सोसाएटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 के अधीन पंजीकृत हो।

अथवा

विदेशी निगमित निकाय, जिसका कार्यालय भारत में हो।

अथवा

कोई कम्पनी, जो कम्पनी अधिनियम-2013 (पूर्वतर 1956) के अधीन भारत में पंजीकृत हो और जिसका भारत में कार्यालय हो।

अथवा

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार का उपक्रम।

(III) संगठन की कुल पूँजी अथवा सदत्त पूँजी पॉच करोड़ रूपये से अधिक होनी चाहिए।

(10) इच्छुक संगठनों द्वारा आवेदन करने व उनमें से चयन की प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

(i) ई-टैण्डरिंग के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षण किया जाएगा और परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाए गए प्रस्तावों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर अपनी संस्तुति व अभिमत निदेशक, नागरिक उड्डयन को प्रेषित किए जाएंगे। तदुपरान्त निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा समिति की संस्तुति व अभिमत से शासन को अवगत कराते हुए प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रेषित किया जाएगा। निर्णय के उपरान्त यथावश्यक अग्रेतर कार्यवाही निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा की जाएगी।

(ii) चयनित संगठन को एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप पर राज्य सरकार से अनुबन्ध करना होगा तथा अपेक्षित धरोहर धनराशि/शुल्क जमा करने होंगे।

5/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा:-

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन द्वारा नामित ऐसा अधिकारी, जिसका स्तर उत्तर प्रदेश शासन के सचिव अथवा उसके ऊपर के स्तर का होगा |	अध्यक्ष
उप निदेशक, उड़ान योग्यता, नागरिक उड्डयन विभाग, भारत सरकार, भारत सरकार अथवा महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार द्वारा नामित अधिकारी |	सदस्य
वित्त नियन्त्रक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश |	सदस्य
मुख्य अभियन्ता,नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश |	सदस्य
प्रमुख प्राध्यापक, वैमानिकी प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश |	सदस्य
कार्यालय प्रभारी (हवाई पट्टी), नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश |	सदस्य
नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश का एक पायलट जो अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा नामित किया गया हो।	सदस्य
निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य सचिव

(12) प्रस्तावों को स्वीकार अथवा निरस्त करने के अधिकार पर निम्नवत होगा:-

नागरिक उड्डयन विभाग किसी एक अथवा समस्त प्रस्तावों को बिना किसी कारण बताए स्वीकार अथवा निरस्त कर सकता है।

(13) विवाद की स्थिति में पंचाट (आर्बिट्रेशन) एवं न्यायिक प्रक्रिया हेतु वादों का न्याय क्षेत्र निम्नवत् होगा:-

इस अनुबन्ध के क्रियान्वयन में दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में उभयपक्षों में से किसी भी पक्ष द्वारा आर्बिट्रेशन हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी।

अनुबन्ध के क्रियान्वयन के दौरान दो पक्षकारों के मध्य उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सन्दर्भित किए जाएँगे जो एकल आर्बिट्रेटर होंगे। एकल आर्बिट्रेटर द्वारा दिए गए विनिश्चय दोनों पक्षकारों के लिए अन्तिम और बाध्यकारी होंगे। आर्बिट्रेशन प्रक्रिया पर आर्बिट्रेशन ऐण्ड कन्सीलिएशन ऐक्ट-1996 के उपबन्ध लागू होंगे तथा आर्बिट्रेशन का स्थान लखनऊ होगा।

2- मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त नीतिगत निर्णय के अनुरूप इच्छुक संगठनों से आवेदन प्राप्त करने के निमित्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति अभिलेख की हिन्दी व अंग्रेजी की प्रति अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं। प्रश्नगत नीति की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति भी संलग्न है।

3- आपसे यह भी अनुरोध है कि प्रश्नगत नीति के सम्बन्ध में जन सामान्य की जानकारी के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने तथा संलग्न अभिरूचि की अभिव्यक्ति अभिलेख (Expression of Interest) तथा नीति को नागरिक उड्डयन विभाग की वेबसाइट http//cadup.gov.in पर अपलोड कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

6/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व की हवाई पट्टियों को निजी संस्थाओं को उड्डयन प्रशिक्षण कार्यक्रमों/वायुयान अनुरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपयोग करने की अनुमति दिए जाने के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-747/छप्पन-2007-11/07 दिनांक 27 जुलाई, 2007 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
विशाख जी0
विशेष सचिव

पृ0सं0- 79/2021/1657(1)/छप्पन-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को प्रश्नगत शासनादेश का व्यापक प्रचार एवं प्रसार कराने हेतु।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. कन्ट्रोलर ऑफ एयर वेर्दीनिस, नागरिक उड्डयन, भारत सरकार।
6. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

उड्डयन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उड़ान क्लबों/ अकादमियों हेतु हवाई पट्टियों के उपयोग की नीति

1. प्रस्तावना

नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पास प्रचालन क्षेत्र में सत्रह (17) हवाई पट्टियां हैं । नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन इन हवाई पट्टियों का उपयोग दोनों रोटरी तथा फिक्स्ड विंग विमानों का संचालन करने के लिए करता रहा है।

नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अंगीकृत और क्रियान्वित हवाई प्रचालन राज्य सरकार अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों / महत्वपूर्ण व्यक्तियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अथवा राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य कृत अन्य प्रचालनों को क्रियान्वित करने के लिए क्रियाशील है। राज्य स्वामित्वाधीन हवाई पट्टियाँ भलीभाँति अनुरक्षित हैं और वे अन्य उड़ान संबंधी क्रिया कलापों यथा उड़ान/पाइलट प्रशिक्षण कार्यक्रम / वायुयान अनुरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा कोई अन्य उड्डयन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा समुचित प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी उड़ान क्लब/ अकादमी, को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं से युक्त है। राज्य स्वामित्वाधीन हवाई पट्टियाँ भलीभाँति सुरक्षित हैं और उड़ान संबंधी प्रशिक्षण / अनुरक्षण संबंधी प्रशिक्षण हेतु और उड़ान क्लब / अकादमी संचालित करने हेतु प्रचुर अवसर प्रदान करती हैं। इन हवाई पट्टियों का भली भाँति उपयोग किया जा सकता है क्योंकि वे वर्ष के अधिकतम समय तक अच्छे मौसम की दशाओं वाल अवस्थानों पर विद्यमान हैं। उत्तर प्रदेश शासन राज्य में विनिधान करने वाले संगठनों की वृद्धि को सुगम बनाने हेतु त्वरित, सहायक, पारदर्शी और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट ए जी के सहयोग से सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति से नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के विकास के माध्यम से उड्डयन के क्षेत्र में अभिवृद्धि करने के अपने आशय को अभिव्यक्त किया है। राज्य सरकार संपूर्ण राज्य में सात नए हवाई अड्डो को विकसित करने की प्रक्रिया में भी है। उसी प्रकार से सरकार ऐसे संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो राज्य में उड्डयन के क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधाओं / उडान क्लबों/अकादमियों को स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं।

2. <u>उद्देश्य</u>

उड्डयन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उड़ान क्लबों/अकादमियों हेतु हवाई पट्टियों के उपयोग की इस नीति का मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है :-

- प्रमाणित उड़ान / पायलट प्रशिक्षण / अनुरक्षण प्रशिक्षण संगठनों द्वारा उड़ान/ पायलट / अनुरक्षण प्रशिक्षण अथवा किसी अन्य उड्डयन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए अथवा उड़ान क्लब/ अकादमी (जिन्हें आगे 'संगठनों' के रूप में उल्लिखित किया गया है) संचालित करने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (जिसे आगे 'ना0उ0वि0, उ0प्र0शा0' के रूप में उल्लिखित किया गया है) के पास उपलब्ध उड्डयन से संबंधित अवसंरचना का अधिकतम उपयोग किया जाना |
- राज्य में उड्डयन के क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा उड़ान संबंधी पारिस्थितिक तंत्र हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना।
- नागरिक उड्डयन विभाग के विभिन्न उपलब्ध अवसंरचनाओं यथा हवाई पट्टियों, विमानशालाओं, टर्मिनल भवनों, पार्किंग क्षेत्रों तथा अतिथि गृहों आदि की अप्रयुक्त संभाव्यताओं का उपभोग करना।
- वृत्तिक वातावरण उपलब्ध कराते हुए उड्डयन के क्षेत्र में प्रशिक्षित उड्डयन कर्मियों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करना ।
- दोनों प्राविधिक / अप्राविधिक क्षेत्रों में रोजगार संबंधी अवसर सृजित करना और उसमें वृद्धि करना।
- विभिन्न उड़ान/पायलट प्रशिक्षण संगठनों / क्लब अकादमियों को सुविधा प्रदान करके उड्डयन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्रिया कलापों के केन्द्र बिंदु के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य का विकास करना।

3. <u>हवाई पट्टियों की सूची</u>-

निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश (जिसे आगे ना0उ0वि0, उ0प्र0 कहा गया है) संप्रति निम्नलिखित राज्य स्वामित्वाधीन हवाई पट्टियां प्रस्तावित करने हेतु विचार कर रहा है। नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश पायलटों, अभियंताओं, तकनीशियनों, फ़्लाइट डिस्पैचरों तथा केबिन-क्रयू आदि के लिए डी0जी0सी0ए0 द्वारा अनुमोदित उड्डयन सम्बन्धी पाठ्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित हवाई पट्टियों का उपयोग करने के लिए संगठनों को अनुज्ञा प्रदान कर सकता है:-

1. धनीपुर (अलीगढ़)

2. सैफई (इटावा)
3. रसूलाबाद (कानपुर देहात)
4. मरहमताबाद (फर्रुखाबाद)
5. अकबरपुर (अम्बेडकर नगर)
6. अन्धऊ (गाजीपुर)
7. पलिया (लखीमपुर खीरी)
8. अमहट (सुल्तानपुर)
9. श्रावस्ती
10. आजमगढ़
11. चित्रकूट
12. म्योरपुर (सोनभद्र)
13. झाँसी
14. कोई अन्य हवाई पट्टी (उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट तथा प्राधिकृत)|

उपरोक्त हवाई पट्टियों, जैसा और जब उपलब्ध हों का उपयोग, राज्य सरकार द्वारा समुचित प्रक्रिया के माध्यम से चयन के पश्चात् उड्डयन क्षेत्र से सम्बंधित कोई प्रशिक्षण अन्य क्रिया कलाप प्रदान करने हेतु उड़ान प्रशिक्षण संस्थान/वायुयान अनुरक्षण प्रशिक्षण संस्थान/उड़ान अकादमी या कोई अन्य संस्था स्थापित करने के लिए किया जा सकता है।

4. <u>नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संगठनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ-</u>

नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संगठनों को निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएँगी :-

(1) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संगठनों के लिए आबंटित की गयी उत्तर प्रदेश शासन की स्वामित्वाधीन हवाई पट्टी का उपयोग करने हेतु कतिपय शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञा प्रदान किया जाना।

(2) उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व अनुमोदन से हवाई पट्टियों का अनुरक्षण करना तथा उन्हें आवासित करने हेतु चिन्हित हवाई पट्टियों में विमानशाला (विमानशालाओं) के उपयोग की अनुज्ञा प्रदान किया जाना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित अतिरिक्त लागत/किराया पर संगठनों को विमानशाला

(विमानशालाएँ) आबंटित की जाएँगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपेक्षित होने पर करार अवधि के दौरान किसी भी समय छः माह की पूर्व की नोटिस पर विमानशाला (विमानशालाओं) को वापस लिया जा सकता है।

(3) उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व अनुमोदन से चयनित हवाई-पट्टियों पर संरचनाओं/भवनों (पूर्णतः या अंशतः) उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान किया जाना। संगठनों को भूमि का आबंटन नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर अवधारित अतिरिक्ति लागत/ किराया के आधार पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपेक्षित होने पर करार अवधि के दौरान किसी भी समय छः माह की पूर्व नोटिस पर संरचनाएँ/भवन वापस ले लिए जाएँगें।

(4) उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रशिक्षण सुविधाएँ सृजित करने के निमित्त भूमि (उपलब्धता के अध्यधीन) का उपयोग करने के लिए अनुज्ञा प्रदान किया जाना। संगठनों को भूमि का आबंटन नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर अवधारित अतिरिक्त लागत/ किराया के आधार पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपेक्षित होने पर करार अवधि के दौरान किसी भी समय छः माह की पूर्व नोटिस पर भूमि वापस ली जा सकती है। उक्त करार के समाप्त/अवसान होने पर संगठन द्वारा आवंटित भूमि पर निर्मित कोई भवन या अवसंरचना (अचल) उत्तर प्रदेश शासन की संम्पत्ति हो जायेगी और उसमें निहित हो जाएगी।

(5) (नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा विनिश्चित अतिरिक्त शुल्क का संदाय किये जाने पर) रात्रि अवतरण हेतु सैफई (जिला-इटावा) हवाई पट्टी का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की अपेक्षानुसार अनुज्ञा प्रदान किया जाना।

(6) रनवे, विमानशाला या किसी अन्य अवसंरचना, यदि कोई हो, को संगठन द्वारा की गई किसी क्षति की लागत का भुगतान संगठन द्वारा तत्सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण किये जाने के पश्चात् क्षति निर्धारण के अनुसार नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश को क्रिया जाएगा।

(7) सरकार किसी एक हवाई पट्टी के उपयोग की अनुज्ञा एक से अधिक संगठनों को साझेदारी के आधार पर प्रदान कर सकती है। अधिकतम चार संगठनों को संचालित की जाने वाली प्रशिक्षण (प्रशिक्षणों) की प्रकृति, उसकी प्रशिक्षण क्षमता, अवसंरचनात्मक आवश्यकता तथा हवाई पट्टियों पर उपलब्ध अवसंरचना के आधार पर एक हवाई पट्टी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है। किसी हवाई पट्टी पर अनुज्ञात संगठनों की संख्या के संबंध में विनिश्चय निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा। अपने क्रिया कलापों को चलाने की समय सीमाओं का प्रतिपादन संगठनों

द्वारा स्वयं के मध्य से किया जाएगा, तथापि कोई विवाद होने की स्थिति में उक्त मामला उत्तर प्रदेश सरकार को सन्दर्भित कर दिया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(8) कोई उड़ान/पायलट प्रशिक्षण/अनुरक्षण प्रशिक्षण संस्थान/उड़ान क्लब/उड़ान अकादमी संचालित करने के प्रयोजनार्थ यथा अपेक्षित समस्त आवश्यक अनापत्तियाँ/ लाइसेंस/अनुमोदन/अनुज्ञाएँ संगठन द्वारा प्रचालन प्रारंभ किए जाने के पूर्व विनियामक प्राधिकरणों यथा महानिदेशक, नागरिक उड्डयन, भारत सरकार, बी0सी0ए0एस0, स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त की जाएँगी।

(9) उक्त संगठन को यह सुनिश्चित करना होगा कि हवाई क्षेत्र नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के स्वामित्वाधीन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश अथवा स्थानीय प्राधिकरणों, जैसा और जब उनके द्वारा अपेक्षा की जाए, द्वारा प्राधिकृत किसी अनुसूचित गैर अनुसूचित उड़ान ऑपरेटर के स्वामित्वाधीन वायुयान के संचालन (उदाहरणार्थ लैण्डिंग, टेक ऑफ एवं पार्किंग) हेतु उपलब्ध हो। उक्त संगठन तद्रिमित्त किसी क्षति या प्रतिकर, जो भी हो, के लिए हकदार नहीं होगा।

(10) उक्त संगठन उस हवाई पट्टी का किसी भी समय उपयोग करते हुए समस्त राजकीय वायुयानों को अपेक्षित स्थलीय प्रबंधन सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा। यदि एक से अधिक प्रशिक्षण संगठन हवाई पट्टी का उपयोग कर रहे हों तो निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के पास यह स्वतंत्रता होगी कि वह उस रोस्टर का विनिश्चय करे जिसके अनुसार इन संगठनों द्वारा ऐसी सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा ऐसी सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले संगठन को कोई शुल्क संदत्त नहीं किया जाएगा।

(11) उत्तर प्रदेश शासन का सक्षम प्राधिकारी अथवा नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति हवाई पट्टी तथा अवसंरचना का समय-समय पर तथा जैसा और जब अपेक्षित हो निरीक्षण संपादित कर सकता है और कोई चूक पाए जाने पर नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश संगठन को समुचित रूप में सुविधा बनाए रखने के लिए निदेश दे सकता है।

(12) संगठनों को स्वयं द्वारा निष्पादित किए गए क्रियाकलाप /उड़ान-विवरणों के संबंध में त्रैमासिक रिपोर्ट नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश/ निदेशक, नागरिक उड्डयन को अपेक्षित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

(13) संगठन को उत्तर प्रदेश शासन के साथ करार में संख्यांकित निबंधन और शर्तों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। संगठन द्वारा करार की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने से संबंधित कोई लापरवाही/ चूक किए जाने पर करार में यथा संख्यांकित दाण्डिक कार्यवाही की जा सकती है।

(14) उत्तर प्रदेश शासन के अनुमोदन से नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश वृहत्तर लोक हित में हित अभिव्यक्ति में अभिव्यक्त किसी अनुज्ञा को रद्द या प्रत्याहृत कर सकता है।

5. <u>संगठनों के दायित्व-</u>

चयनित संगठनों की भूमिका निम्नवत् होगी:-

(1) चयनित संगठन नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश से सम्यक् अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात आबंटित हवाई पट्टियों पर उड़ान/पायलट प्रशिक्षण/वायुयान अनुरक्षण प्रशिक्षण अथवा किसी अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा उड्डयन से संबंधित उड़ान क्लब/ अकादमी के लिए अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधाएँ स्थापित करेगा। उक्त सुविधा का मानचित्र और अभिकल्प नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तरप्रदेश को प्रस्तुत किया जाएगा जो संवीक्षा (प्रतिमानों को पूरा करने के अध्यधीन) के पश्चात् संगठन को अपनी सहमति के संबंध में संसूचित करेगा।

(2) चयनित संगठन प्रचलित नीति का कड़ाई से अनुपालन करेगा और वह महानिदेशक, नागरिक उड्डयन, भारत सरकार की समस्त विनियामक अपेक्षाओं यथा नागरिक उड्डयन नियमावली, भारतीय वायुयान अधिनियम-1934, भारतीय वायुयान नियमावली-1937, श्रमअधिनियम/नियमावली बी.सी.ए.एस. और भारत तथा उत्तर प्रदेश राज्य में प्रचिलत किसी विधि के अधीन किसी अन्य सांविधिक अपेक्षा के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(3) चयनित संगठनों को महानिदेशक, नागरिक उड्डयन, भारत सरकार और अन्य समस्त विनियामक प्राधिकरणों से समस्त अपेक्षित अनापत्तियाँ /अनुमोदन/लाइसेंस प्राप्त करने होंगे जो प्रशिक्षण अथवा नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुज्ञात किसी अन्य उड्डयन से संबंधित क्रियाकलापों को प्रारंभ करने और उन्हें प्रचालित करने के लिए अनिवार्य हैं।

(4) चयनित संगठनों को प्रयोक्ताओं के लिए ऐसे समस्त अनिवार्य और आवश्यक सुविधाओं का अपने स्वयं के व्यय और जोखिम पर उपबन्ध करना होगा, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम (कार्यक्रमों) अथवा समुचित

प्राधिकारी द्वारा यथा अनिवार्यकृत अन्य क्रियाकलापों के सुगम, सुरक्षित तथा दक्ष संचालन के लिए अपेक्षित हैं।

(5) चयनित संगठन को अपने क्रियाकलापों के संचालन हेतु प्रस्तावित अपनी विस्तृत अवसंरचनात्मक विकास संबंधी योजना प्रस्तुत करनी होगी और नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी। अपने क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के प्रक्रम के दौरान किसी संगठन द्वारा निर्मित कोई अचल अवसंरचना हवाई पट्टी के उपयोग की अनुज्ञा की समाप्ति के पश्चात नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की संपत्ति हो जाएगी।

(6) चयनित संगठन को किसी भी रूप में राज्य सरकार, संबंधित जिला के जिला मजिस्ट्रेट अथवा नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश या संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश से संबंधित हवाई पट्टी और समस्त अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपयोग किए जाने में हस्तक्षेप नहीं करना होगा।

(7) चयनित संगठन को प्रतिमानों के अनुसार समस्त आवश्यक अग्नि सुरक्षा, अग्निशमन संबंधी उपकरण तथा अन्य उपकरण प्रतिष्ठापित करके अग्नि और अन्य परिसंकटों से संपत्ति की संरक्षा करने तथा उसका रोकथाम करने के लिए समस्त उपबंध करना होगा।

(8) परिसर की सुरक्षा तथा उसमें प्रवेश संबंधी नियंत्रण का उत्तर दायित्व चयनित संगठन का होगा और तदनिमित्त पर्याप्त सुरक्षाकर्मी अभिनियोजित किए जायेंगे। समस्त संकाय सदस्यों, कर्मचारिवर्ग, प्रशिक्षणार्थियों अथवा संगठन के सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के लिए परिचय-पत्र जारी किए जा सकते हैं और किसी अप्राधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूर्णत: प्रतिषिद्ध होगा। तथापि राज्य सरकार/जिला प्रशासन के पदाधिकारियों अथवा नागरिक उड्डयन विभाग/जिला प्रशासन द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत पदाधिकारियों के पास अपना विधिमान्य परिचय-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश का अधिकार होगा।

(9) चयनित संगठन को स्वयं द्वारा निर्मित भवनों/सुविधास्थलों का बीमा सम्बन्धी आच्छादन सुनिश्चित करना होगा। उसे प्रशिक्षण प्रक्रिया से संबंधित अपने समस्त कर्मचारियों/प्रशिक्षणार्थियों का भी बीमा सुनिश्चित करना होगा। नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश जीवन या संपत्ति, जो भी हो, की किसी प्रकार की क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

(10) हवाई पट्टी तथा सम्बद्ध अवसरंचनाओं का उपयोग करने के संबंध में चयनित संगठन को प्रदान की गयी अनुज्ञा निरा अस्थायी प्रकृति की होगी और नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के पास छ: माह की पूर्व नोटिस पर किसी भी समय इस अनुज्ञा को प्रतिसंहृत करने की शक्ति होगी। इस संबंध में संगठन द्वारा उठायी गई कोई आपत्ति नहीं होगी और न ही राज्य सरकार द्वारा इसके लिए किसी प्रकार का भुगतान या प्रतिपूर्ति की जाएगी। हवाई पट्टी के उपयोग की अनुज्ञा का प्रत्याहरण किए जाने के दिनांक से और संविदा रद्दकरण की नोटिस जारी किए जाने पर संगठन द्वारा किसी छात्र को प्रविष्ट / पंजीकृत नहीं किया जाएगा, यदि संगठन द्वारा किसी छात्र का पंजीकरण किया जाता है तो उउस मामले में पंजीकरण विधि मान्य नहीं समझा जाएगा।

(11) संगठन को भी उत्तर प्रदेश शासन को तीन माह की पूर्व नोटिस से करार से पृथक होने की अनुज्ञा होगी।

(12) चयनित संगठन को नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृत क्रिया कलापों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए हवाई पट्टी या उससे संबंधित किसी अन्य अवसंरचना का उपयोग करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(13) चयनित संगठन अपने स्वयं के लागत पर समस्त प्रतिष्ठापन स्थलों, भवनों और विमानशालाओं का अनुरक्षण एवं मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(14) नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किसी भी रूप में प्राधिकृत से भिन्न हवाई पट्टी और संबद्ध अवसरंचना का चयनित संगठन या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वाणिज्यिक उपयोग किया जाना पूर्णत: प्रतिषिद्ध होगा और किसी प्रकार का उल्लंघन किए जाने पर ऐसी कड़ी कार्यवाही की जायेगी जो प्रतिभूति जमा जब्त किए जाने और संपत्ति के अप्राधिकृत उपयोग के माध्यम से संगठन द्वारा अर्जित धनराशि को वसूल किए जाने की कोटि की होगी।

(15) चयनित संगठन को अपने क्रिया कलापों को कार्यान्वित करने के लिए अपने द्वारा प्रयुक्त सुविधाओं और सेवाओं के लिए चयनित हवाई पट्टी पर विद्युत, जल, स्वच्छता, जल-निकासी, सुरक्षा तथा अग्निशमन सुरक्षा आदि से संबंधित समस्त व्ययों का वहन करना होगा।

(16) चयनित संगठन को उत्तर प्रदेश शासन के पक्ष में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यथा अवधारित बैंक प्रत्याभूति के रूप में 10 लाख रूपये की प्रतिभूति धनराशि जमा करनी होगी। दो पक्षकारों के मध्य करार में उल्लिखित किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर प्रतिभूमि जमा समपहृत हो जाएगी।

(17) चयनित संगठन प्रत्येक हवाई पट्टी के उपयोग करने के लिए 10.00 लाख रूपए का नियत हवाई पट्टी उपयोक्ता शुल्क का प्रतिवर्ष भुगतान करेगा । अनुबन्ध के समय संगठन द्वारा प्रथम 05 वर्षों के लिए कुल 50.00 लाख रूपए की धनराशि जमा की जाएगी और पाँचवे वर्ष के प्रथम माह में शेष 05 वर्षों के लिए कुल 50.00 लाख रूपए की धनराशि जमा की जाएगी । विमानशालाओं, भवन (भवनों) (जहाँ प्रयोज्य हो) और अन्य सुविधा स्थलों के लिए वार्षिक शुल्क का अवधारण समय-समय पर पृथक रूप से किया जाएगा।

(18) संगठन प्रत्येक त्रैमास (अंतिम त्रैमास से प्रत्येक त्रैमास के सातवें दिन तक के लिए) में अपनी सेवाओं/ सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रयोक्ता से संग्रहित सकल शुल्क (डी0जी0सी0ए0 को संदेय जी0एस0टी0 और अन्य प्रभारों को छोड़कर) के न्यूनतम तीन प्रतिशत अथवा निविदा में यथा उद्धृत धनराशि के बराबर प्रतिछात्र शुल्क का भी भुगतान करना होगा। छात्रों/ प्रतिभागियों की संख्या, डी0जी0सी0ए0 (अथवा उन मामलों में सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट, जिन मामलों में डी0जी0सी0ए0 छात्र आँकड़ों को अभिलिखित न करता हो) द्वारा प्रमाणित/ सत्यापित की जाएगी। फीस का अवधारण संगठन द्वारा किया जाएगा और तत्संबंध में सूचना नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश को दी जाएगी। संग्रहीत प्रभार/फीस में छात्र दर छात्र के अनुसार भिन्नता हो सकती है, किन्तु प्रशिक्षण फीस की गणना के प्रयोजनार्थ दस प्रतिशत से अधिक की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। संगठन के दस्तावेजों/ लेखाओं की लेखा परीक्षा नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा सीधे अथवा छात्रों/ सहभागियों की संख्या से संबंधित घोषणा का सत्यापन करने के सीमित प्रयोजन से उसके द्वारा नियुक्त किसी अभिकरण के माध्यम से की जाएगी और संग्रहीत फीस समुचित रूप में हो।

(19) चयनित संगठन को दस वर्ष की अवधि के लिए हवाई पट्टी, विमानशाला और अन्य सुविधाएँ (अपेक्षित फीस का संदाय किए जाने के अध्यधीन) प्रदान की जाएगी और तदनुसार संविदा का निष्पादन किया जाएगा। यह संविदा संविदात्मक अवधि पूर्ण होने पर समाप्त हो जाएगी।

(20) निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश प्रत्येक वर्ष संगठन द्वारा कृत संविदात्मक शर्तों के अनुपालन की समीक्षा करेगा। उक्त अनुज्ञा प्रतिसंहृत हो जाएगी, यदि संगठन द्वारा संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है। संगठन द्वारा संविदा का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में विनिश्चय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा।

6. <u>प्रशिक्षण संगठन हेतु पात्रता के मानदण्ड/अर्हता</u>

हवाई पट्टी तथा सम्बद्ध अवसंरचना के उपयोग हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए संगठन द्वारा निम्नलिखित पात्रता/अर्हताएँ पूरी की जाएँगी:-

(1) संगठन उड्डयन से सम्बन्धित क्रियाकलापों, जिन्हें वह करना चाहता हो, को संचालित करने के लिए भारत के अन्दर या उसके बाहर किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अुनमोदित होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों को अनुमोदित करने हेतु किसी अन्तरर्राष्ट्रीय प्राधिकरण की सक्षमता के सम्बन्ध में कोई विवाद/आशंका होने की स्थिति में महानिदेशक, नागरिक उड्डयन, भारत (डी0जी0सी0ए0) से अपेक्षित स्पष्टीकरण तथा मार्गदर्शन वांछित होगा और इस सम्बन्ध में डी0जी0सी0ए0 का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) संगठन के प्रबन्धक, अध्यक्ष तथा सदस्य के लिए यह अपेक्षित है कि वह भारत का नागरिक हो । कोई फर्म होने की स्थिति में फर्म के भागीदारों को भारत का नागरिक होना चाहिए।

अथवा

कोई समूह, जो भारत का नागरिक हो या सोसाएटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 के अधीन पंजीकृत कोई न्यास/ सोसायटी |

अथवा

विदेशी निगमित निकाय, जिसका कार्यालय भारत में हो |

अथवा

कोई कम्पनी, जो कम्पनी अधिनियम-2013 (पूर्वतर 1956) के अधीन भारत में पंजीकृत हो और जिसका भारत में कार्यालय हो |

अथवा

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार का उपक्रम।

(3) संगठन/फर्म/कम्पनी/समूह आदि की कुल पूँजी अथवा संदत्त पूँजी पाँच करोड़ रूपये से अधिक की होनी चाहिए।

7. <u>प्रस्तावों का मूल्यांकन</u>

प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण/मूल्यांकन निम्नलिखित विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जायेगा:-

1.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो उत्तर प्रदेश शासन के सचिव अथवा उसके ऊपर के स्तर का होगा।	अध्यक्ष
2.	उपनिदेशक, उड़ान योग्यता, नागरिक उड्डयन विभाग, भारत सरकार अथवा डी0जी0सी0एस0 द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी।	सदस्य
3.	वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
4.	मुख्य अभियंता, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
5.	प्रमुख प्राध्यापक, वैमानिकी प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
6.	कार्यालय प्रभारी (हवाई पट्टी), नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
7.	नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश का एक पायॅलट, जो अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन द्वारा नाम निर्दिष्ट हो।	सदस्य
8.	निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और संसूचना जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश शासन कोई कारण समनुदेशित किए बिना किसी या समस्त प्रस्तावों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है।

8. आवदेन प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया

आवेदन प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया निम्नवत् है:-

(1) हित अभिव्यक्ति को ई-टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है और नागरिक उड्डयन विभाग की वेबसाइट अर्थात www.cadup.gov.in पर भी उपलब्ध होगी।

(2) हितबद्ध संगठन को प्रत्येक हवाई पट्टी हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया के रूप में रू 25,000/- का प्रसंस्करण शुल्क (अप्रतिसंदेय) नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट में विनिर्दिष्ट निदेशक,नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में ई-टेण्डर पोर्टल पर हित अभिव्यक्ति प्रस्तुत किए जाने के दिनांक को या उससे पूर्व प्रस्तुत करना होगा जिसमें विफल होने पर आवेदनअस्वीकृत कर दिया जाएगा।शुल्क ऑनलाइन अंतरण के माध्यम से ही जमा किया जाएगा।

(3) आवेदन/प्रस्ताव सहित ऑन लाइन संव्यवहरण की प्रति आगामी संदर्भों हेतु ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए।

(4) हितबद्ध संगठन उपर्युक्त एक अथवा उससे अधिक हवाई पट्टियों पर प्रशिक्षण हेतु ई-टेण्डर पोर्टल पर अपना-अपना हित अभिव्यक्ति अपलोड कर सकते हैं।

(5) नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा उड्डयन संबंधी क्रियाकलापों, को उपक्रमित करने के लिए एक हवाई पट्टी पर एक से अधिक संगठन, जो प्रति हवाई पट्टी अधिकतम चार संगठन हो सकते हैं, को अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है।

(6) हितबद्ध संगठन को हित अभिव्यक्ति में अपने हित के एक या उससे अधिक स्थानों (हवाई पट्टी/हवाई पट्टियों) का नाम उल्लिखित करना होगा।

(7) अपने द्वारा प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तावित उड्डयन से संबंधित क्रियाकलापों को उपक्रमित करने हेतु चयनित किए जाने की स्थिति में प्रत्येक हितबद्ध संगठन को अपनी सेवाएँ और सुविधाएँ प्रस्तावित करने के लिए अपना प्रतिशत शुल्क, जिसे वह नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश को संदत्त करेगा, भी प्रस्तुत करना होगा। यदि चार से अधिक संगठन किसी हवाई पट्टी के लिए आवेदन करते हैं और वे अपना प्रचालन संचालित करने हेतु प्राविधिक रूप से अर्ह हों तो नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश को उच्चतम अंश वाले शुल्क का संदाय करने का प्रस्ताव करने वाले चार संगठनों को अपनी संवाएँ तथा सुविधाएँ प्रदान करने की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी।

(8) हितबद्ध संगठनों को हित अभिव्यक्ति आवेदन/प्रस्ताव में अपना वित्तीय अर्थात शुल्क प्रतिशत उद्धृत नहीं करना चाहिए। हित अभिव्यक्ति/बोली/प्रस्ताव दो आवरण प्रणाली होगी:-

(एक) प्राविधिक अर्थात हित अभिव्यक्ति आवेदन/प्रस्ताव

(दो) वित्तीय अर्थात् सेवा प्रदान करने हेतु शुल्क प्रतिशत।

(9) चूँकि इसमें दो बोली आवरण प्रणाली है अत: वित्तीय बिन्दु बी0ओ0क्यू0 में उद्धृत किये जाएँगे जिन्हें ई-टेण्डर पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है और उन्हें ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

(10) ऐसे हितबद्ध संगठनों, जो एक से अधिक हवाई पट्टियों के लिए आवेदन करेंगे, की गणना प्रत्येक हवाई पट्टी हेतु पृथक-पृथक इकाइयों के रूप में की जायेगी।

(11) हितबद्ध संगठनों को अपना-अपना प्रस्ताव ई-टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। हित अभिव्यक्ति में यथा उल्लिखित समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन प्रति संलग्न करना और उसे प्राविधिक प्रस्ताव/बोली आवरण के अधीन ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।

(12) संगठनों को बी0ओ0क्यू0 में शुल्क प्रतिशत उद्धृत तथा अपलोड भी करना होगा, जिसे ई-टेण्डर पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। हितबद्ध संगठनों द्वारा अपने सेवा और सुविधा प्रयोक्ताओं से प्रभारित किए जा रहे शुल्क से नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश को प्रतिशत शुल्क का भुगतान किया जाना वांछित है। प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जाँच निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा और जाँच के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार समस्त शर्तों को पूरा करने वाली संस्थाओं के नाम आवेदन सहित इस प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समिति को निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अग्रसारित किए जाएँगे। उक्त समिति अपनी संस्तुति निदेशक को प्रस्तुत करेगी जो राज्य सरकार को एक प्रस्ताव प्रेषित करेगा। अंतिम विनिश्चय नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा।

(13) चयनित संगठन सूचना प्राप्त किए जाने के एक माह के भीतर विहित प्रारूप में उत्तर प्रदेश शासन के साथ संविदा करेंगे और अपेक्षित प्रतिभूति धनराशि/शुल्क जमा करेंगे। समस्त सुसंगत विवरण उक्त संविदा में उल्लिखित किए जाएँगे।

(14) उक्त प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा:-

(1) नागरिक उड्डयन विभाग उत्तर प्रदेश उक्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के निमित्त प्रशिक्षण संगठनों से कोई अन्य दस्तावेज/सूचना, जैसा कि वह उचित समझे, प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) यदि प्रशिक्षण संगठन निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या उपलब्ध कराने में विफल हो जाता है तो नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विनिश्चय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(3) प्रशिक्षण संगठन प्रस्ताव सहित समस्त सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।

9. <u>विवाद निवारण</u>

किसी संविदा का क्रियान्वयन किये जाने के दौरान दो पक्षकारों के मध्य यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार द्वारा माध्यस्थम् किया जा सकता है। उत्पन्न होने वाले समस्तविवाद प्रमुख सचिव, न्याय, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को संदर्भित किये जाएँगे जो एकल मध्यस्थ होगा। एकल मध्यस्थ द्वारा कृत विनिश्चय दोनों पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम -1996 के उपबंध लागू होंगे। माध्यस्थम् स्थान लखनऊ में होगा। कोई एक पक्षकार प्रथमतः अपना प्रत्यावेदन मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। न्यायालय की अधिकारिता लखनऊ में होगी।

संलग्नक-2

Policy on Use of Airstrips for Training Programmes and Flying Clubs/ Academies in field of Aviation

1. Introduction

The Civil Aviation Department, Government of Uttar Pradesh (CAD, UP) has seventeen (17) airstrips in its operational territory. CAD, UP has been utilising these airstrips for the operation of both Rotary and Fixed Wing aircrafts.

The Air Operations taken up and carried out by CAD, UP are purely as per requirements of VVIPs/VIPs of the State Government or to carry out other operations which are mandated by the State Government. The State-owned airstrips are well maintained and possess adequate infrastructure for carrying out other flight related activities, like running of the Flight/Pilot Training Programme/ Aircraft Maintenance Training Programme or any other aviation related training programme or any Flying Club/ Academy, duly authorised by appropriate authority. The State-owned airstrips are well secured and offer great opportunity for flight training/ maintenance training and for running a Flying Club/ Academy. These airstrips could be well utilized, as they are at locations having good weather conditions for most part of the year and are very well connected. The Government of Uttar Pradesh is committed to provide a prompt, helpful, transparent and conducive environment to facilitate the growth of organisations investing in the state. The State Government has expressed its intention to boost the aviation sector through the development of Noida International Greenfield Airport in PPP mode in collaboration with Zurich International Airport AG. The State Government is also in the process of developing 7 new airports across the State. Similarly, the Government is committed to promote organisations who are keen to establish training facilities/ flying clubs/ academies in the aviation sector in the state.

2. Objective

The main objective of this policy on use of Air Strips for training programmes and Flying Clubs/Academies in the field of aviation is -

- Optimum utilization of aviation related infrastructure available with the Department of Civil Aviation, Government of Uttar Pradesh (hereinafter mentioned as 'GoUP') for conducting flight/Pilot / maintenance training or any other aviation related training programme by certified Flight/Pilot Training/ Maintenance Training Organisations or for running Flying Clubs/ Academies (hereinafter mentioned as '**Organisations**').

- To provide a conducive environment for the training and flying Ecosystem in the aviation sector in the state.
- To tap the unutilised potential of various available infrastructure of the Civil Aviation Department like airstrips, hangars, terminal buildings, parking areas, guest houses etc.
- To meet the growing demand of trained aviation personnel in the aviation sector by providing a professional environment.
- To generate and expand the employment opportunities in both technical/non-technical sectors.
- To develop the State of Uttar Pradesh, as the Hub for aviation related training programmes and activities by facilitating the various flight/Pilot Training Organisations/Clubs/Academies.

3. List of Airstrips

Director, Department of Civil Aviation, Uttar Pradesh (herein after referred to as CAD, UP) is currently considering to offer the following state-owned airstrips. CAD, UP may grant permission to Organizations to use the following airstrips for exclusive purpose of training for DGCA approved aviation related courses for pilots, engineers, technicians, flight dispatchers, cabin-crew etc.. :-

1. Dhanipur (Aligarh)
2. Saifai (Etawah)
3. Rasulabad (Kanpur Dehat)
4. Marhamtabad (Farrukhabad)
5. Akbarpur (Ambedkar Nagar)
6. Andhau (Ghazipur)
7. Palia (LakhimpurKheri)
8. Amhat (Sultanpur)
9. Shravasti
10. Azamgarh
11. Chitrakoot
12. Myorpur(Sonbhadra)
13. Jhansi
14. Any other airstrip (as specified and authorised from time to time for this specific purpose by the Government of Uttar Pradesh)

The above airstrips, as and when available, may be utilized for setting up Flying Training Institute / Aircraft Maintenance TrainingInstitute/Flying Academy or any other institution for imparting any training or other

activity related to the aviation sector subsequent to selection through due process by the State Government.

4. Facilities to be provided by Department of Civil Aviation, Uttar Pradesh to the Organisations

The following facilities will be made available to the Organisations by Department of Civil Aviation, Uttar Pradesh -

1. Permission,subject to certain conditions, to use the airstrip owned by Government of Uttar Pradesh allotted to the Organisation by the GoUP.

2. Permission to use hangar(s) at identified airstrips, for the maintenance and housing of aircrafts, with prior approval of GoUP. Hangar(s) will be allotted to the Organisation at an additional cost/ rent determined by GoUP from time to time. Hangar(s) may be taken back, on six months' prior notice at any point of time during the agreement period, by Go UP, if required.

3. Permission to use structures/buildings (wholly or partially), at selected airstrips, with prior approval of the GoUP. Structures/ buildings will be allotted to the Organisation at an additional cost/ rent determined by the CAD, UP from time to time.The structures/ buildings may be taken back, on six months' prior notice at any point of time during the agreement period, by the GoUP, if required.

4. Permission for use of land (subject to availability), for creating training facilities with the prior approval of GoUP. Land will be allotted to the Organisation at an additional cost/ rent determined by the CAD, UP from time to time. Land may be taken back, on six months' prior notice at any point of time during the agreement period, by GoUP, if required. On the expiry/ termination of the agreement, any building or infrastructure (immoveable) created on the allotted land by the Organisation will become the property of the and shall be vested in GoUP.

5. Permission, as per the requirement of the training program, to use Saifai (District Etawah) airstrip for night landing (on payment of additional fee as decided by CAD, UP).
6. The cost of damage to the runway, hangar or any other infrastructure, if any, caused by the Organisation, shall be payable by the Organisation to CAD, UP as per the assessment of damage, after joint inspection of the same.

7. The Government may allow the usage of one airstrip to more than one Organisation on a sharing basis. A maximum of four Organisations can be allowed to conduct training programmes at one airstrip depending upon the type of training(s) to be conducted, it's training capacity, infrastructure needs and infrastructure available at the airstrips. The decision regarding the number of Organisations permitted at any airstrip will be taken by the Director, CAD, UP. The timings for undertaking their activities shall be worked out by the Organisations amongst themselves; however, in case of any dispute, the matter shall be referred to the GoUP who's decision shall be final and binding.

8. All the necessary clearances/licenses/approvals/permissions as required for the purpose of running a flight/ pilot training/ maintenance training institute/ flying club/ flying academy, shall be obtained by the Organisation from all the regulatory authorities like DGCA, Government of India, BCAS, local authority etc, before the commencement of operations.

9. The Organisation shall ensure that the airfield is available for operations (e.g. landing, takeoff & parking) of the aircraft owned by the CAD, UP and any scheduled/non-scheduled flight operator authorised by the Ministry of Civil Aviation, Government of India or the CAD, UP or local authorities as and when required by them. The Organisation shall not be entitled for any damage or compensation, whatsoever, for the same.

10. The Organisation shall provide required ground handling facilities to all state aircraft using that airstrip at any point of time. In case, more than one Training Organisation is using the Airstrip, the Director, CAD, UP will have the liberty to decide the roster according to which these services shall be provided by these Organisations. No charges shall be paid by the CAD, UP to the Organisation providing these services.

11. The competent authority of GoUP or a person duly authorised by the Civil Aviation Department, Govt of Uttar Pradesh may carry out the inspection of the airfield and the infrastructure, from time to time, as and when requiredand in case of any lapses found, CAD, UP may direct the organisation to maintain the facility in appropriate manner.

12. Organisation shall have to submit quarterly reports regarding the details of activities/flying statement being carried out by them to the CAD, UP/Director, Civil Aviation in the required format.

13. Organisation shall have to ensure strict compliance of the terms and conditions enumerated in the agreement with the GoUP. Any negligence/omission by the Organisation, leading to a breach of the terms & conditions of the agreement may lead to penal action as enumerated in the agreement.

14. With the approval of the GoUP, CAD UP may cancel or withdraw any permission expressed in EoI in the larger public interest.

5. Obligations of the Organisations

The role of the selected Organisation will be as follows: -

1. The Selected Organisation, after obtaining due clearance from the CAD,UP, shall establish the facility with requisite infrastructure for Flight/Pilot Training/ Aircraft Maintenance Training or any other training programme or Flying Club/ Academy related to aviation at the allotted airstrips. The layout and design of the facility shall be submitted to CAD, UP which may communicate its consent, subsequent to scrutiny, (subject to fulfillment of norms) to the Organisation.

2. The Selected Organisation shall follow the prevail Policy strictly and shall also be responsible to ensure the compliance with all the regulatory requirements of Directorate General of Civil Aviation(DGCA), Government of India such as CAR, Indian Aircraft Act 1934, Indian Aircraft Rules 1937, labour Act(s)/ Rule(s), BCAS and any other statutory requirement under any law prevailing in India and the State of Uttar Pradesh.

3. The Selected Organisation shall obtain all the requisite clearances/ approvals/ licenses from the Director General Civil Aviation, Government of India and all other Regulatory Authorities which are mandatory for the commencement and operation of the training or any otheraviation related activities permitted by CAD, UP.

4. The Selected Organisation shall ensure the provision of all mandatory and necessary facilities for the users, which are required for the smooth, safe and efficient conduct of the training programme(s) or other activities as mandated by the appropriate authority, at their own expense and risk.

5. The Selected Organisation will submit its comprehensive infrastructure development plan proposed for conducting its activities and shall obtain clearance of CAD, UP. Any immovable infrastructure created by any Organisation, during the course of carrying out its activities, will become the property of the Department of Civil Aviation, Government of Uttar Pradesh, after the expiry of the permission of the use of the airstrip.

6. The Selected Organisation shall not, in any manner, interfere in the usage of the airstrip (and all other infrastructure facilities belonging to the CAD, UP by the State Government, the concerned District Magistrate of the district or any agency, authority or person(s) duly authorised by the CAD, UP or the concerned District Magistrate.

7. The SelectedOrganisation shall make all provisions to protect & prevent the property from fire and other hazards by installing all necessary fire safety, fire fightingand other equipment as per norms, and shall obtain NOC from the Fire Services Authorities on its own, for the activities to be carried out by the Organisation.

8. The security of the premises and the access control shall be the responsibility of the Selected Organisation and sufficient security personnel shall be deployed for the same. Identity cards may be issued to all faculty members, staff, trainees or any other duly authorised person of the Organisation and entry of any unauthorized person will be totally prohibited. However, officials of State Government/ District Administration or officials duly authorised by the CAD/ District Administration will have the right of entry on production of their valid identity cards.

9. The Selected Organisation shall ensure the insurance coverage of buildings/ facilities created by it. It shall also insure all its employees/trainees associated with the training process. The CAD, UP will not be responsible for any loss of life or property, whatsoever.

10. The permission granted to the Selected Organisation with regard to use of airstrip and allied infrastructure will be purely of temporary nature and the CAD, UP will have the right to withdraw this permission at any time on a sixmonth'sprior notice. There will be no objection raised by the organisation in this regard nor will any payment or reimbursement be made for it by the State

Government. From the date of withdrawal of permission for use of airstrip and on issuance of notice of cancellation of the contract, no student will be admitted/registered by the organisation; If any registration of a student is done by the organisation, in that case registration will not be considered valid.

11. The Organisation will also be allowed to exit the agreement with a three month's prior notice to the GoUP.

12. The Selected Organisation will not be allowed to use the airstrip or any other infrastructure related to it for any purpose other than the activities authorized by the CAD, UP.

13. The Selected Organisation shall be responsible for maintenance & repair of all the installations, buildings and hangar at their own cost.

14. Commercial use of airstrip and associated infrastructure except as authorised by the CAD, UP in any form, by the Selected Organisation or any other person will be totally prohibited and any violation will attract heavy penal action amounting to seizure of the Security Deposit and recovery of the amount of money earned by Organisation through the unauthorised use of the property.

15. The Selected Organisation shall bear all the expenses related to electricity, water, sanitation, drainage, security, fire safety etc. at the selected airstrip for the facilities and services used by it for carrying out its activities.

16. The Selected Organisation shall deposit a Security Amount of Rs. 10 Lakh in the form of Bank Guarantee in favour of Government of Uttar Pradesh as determined by the GoUP. The Security Deposit will be forfeited in case of breach of any condition mentioned in the agreement between the two parties.

17. The Selected Organisation shall pay a Fixed Airstrip Usage Fees of Rs. 10 Lakh per year for the use of each airstrip. At the time of agreement, an amount of Rs.50 Lakh shall be deposited by

the Organisation for the first 05 years and for the remaining 05 years Rs. 50 Lakh shall be deposited by the Organisation in the first month of the 5th year. The annual charges for hangers, building(s) (where applicable) and other facilities will be determined separately from time to time.

18. The Organisation shall also pay Per Student Fees equivalent to minimum 3% or as quoted in tender, of the Gross total fee (excluding GST and charges payable to DGCA) collected by it from each user of its services/ facilities every quarter (for the last quarter till the 7th day of each quarter).Number of students / participants will be certified / verified by DGCA (or concerned District Magistrate in cases where DGCA does not record the student data). Fees will be determined by the Organisation and communicated to CAD, UP. The charges/fees collected may vary from student to student, but this variation should not be more than 10% for the purpose of calculation of Training Fees. The documents/accounts of the Organisation may be audited by CAD, UP directly or through an agency appointed by it with a limited purpose to verify the declaration about the Number of Student / Participants and Fees collected is appropriate.

19. The airstrip, hangar and other facilities (subject to the payment of required fees) will be provided to the selected Organisation for use for a period of 10 years and the contract will be executed accordingly. This contract will come to an end on completion of the contractual period.

20. The Director CAD, UP will review compliance of the contractual terms by the Organisation every year. The permission will be revoked if any condition of contract is violated by the Organisation. The decision in the case of violation of contract by the Organisation will be taken by theGoUP.

6. Eligibility Criteria/ Qualification for Training Organisation

The following eligibility /qualifications shall be fulfilled by the Organisation, for submission of application for the use of airstrip and allied infrastructure: -

1. The Organisation should be approved by a competent authority either within India or outside to run the aviation related activities that it intends to undertake. In case of any dispute/doubt regarding the competence of an international authority to approve such programmes, requisite clarification and guidance shall be sought from the Director General of Civil Aviation (DGCA), India and DGCA decision in this regard shall be final;

2. The Manager, Chairman and member(s) of the organisation are required to be citizen(s) of India

or

In case of being a firm, the partners of the firm should be citizens of India

or

A group, the members of which are citizens of India or a trust/ society registered under the Registered Society Act 1860

or

Overseas Corporate Body having office in India

or

A company registered in India under the Companies Act 2013 (formerly 1956) having office in India

or

Central Government or State Government Undertaking.

3. The total Capital or Paid-up-Capital of the organisation / firm / company / group etc. should be more than Rs 5.00 crore.

7. Evaluation of proposals

The proposals received will be examined/evaluated by following expert committee: -

1.	An officer nominated by the Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Civil Aviation, of the level of Secretary to the Government of Uttar Pradesh or above	Chairman
2.	Deputy Director of Airworthiness, Civil Aviation Department, Government of Indiaor an officer nominated by DGCA	Member
3.	Finance Controller, Civil Aviation, UP	Member
4.	Chief Engineer, Civil Aviation, UP	Member
5.	Principal Lecturer, Aeronautical Training Institute, UP	Member
6.	Officer-in-Charge (Airstrip), Civil Aviation, UP	Member
7.	One Pilot of CAD UP, nominated by the Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Civil Aviation	Member
8.	Director, Civil Aviation, UP	Member Secretary

The Director, Civil Aviation, Uttar Pradesh will be authorized by the GoUP to sign the documents and issue any communication.

The GoUP may accept or reject any or all the proposals without assigning any reason.

8. Procedure for Submission of Application

The procedure for submission of application will be as follows: -

1. Expressions of Interest (EOI) can be downloaded from the e-Tender portal http://etender.up.nic.in and shall also be availableon the website of the Civil Aviation Department i.e. www.cadup.gov.in.

2. The interested Organisation shall submit a processing fee of Rs. 25000/- (non-refundable) for each airstrip in the form of on-line process in favour of "Director, Civil Aviation, Uttar Pradesh", which is specified in the website of CAD,UPon or before the last date of EoI submission on e-Tender portal, failing which application shall be rejected. Fees can only be deposited through online transfer.

3. The copy of this online transaction along with Application / Proposal should be uploaded on e-Tender portal for future reference.

4. The interested Organisation may upload their Expression of Interest (EOI) for training at one or more of the above airstrips on e-Tender portal.

5. Permission may be granted by CAD, UP to more than one Organisation at one airstrip for undertaking aviation related activities, subject to a maximum of four Organisations per airstrip.

6. The interested Organisation will mention the name of one or more places (airstrip/s) of his interest in the Expression of Interest (EOI).

7. Each interested Organisation shall also have to submit the percentage of its fee for offering its services and facilities, that it would pay to the CAD, UP, in case of being selected for undertaking the aviation related activities proposed to be offered by it. In case more than four

Organisations apply for any airstrip, and are technically qualified to conduct its operations, four Organisationsoffering to pay the highest share of fee to the CAD, UP being charged by them, shall be allowed to offer its services and facilities.

8. The interested organizations should not quote their financial i.e. percentage of fee in the EoI Application / Proposal. The EoI / Bid/Proposal has two cover system :-

   (i) Technical i.e. EoI Application / Proposal

   (ii) Financial i.e. Percentage of Fee for offering services

9. Since it is a two bid cover system, hence the financials shall be quoted in BOQ, which can be downloaded from e-Tender portal and same shall be uploaded on e-Tender portal.

10. The interested Organisations which apply for more than one airstrip will be counted as separate entities for each airstrip.

11. The interested Organisations shall submit their proposals on-line through e-Tender portal http://etender.up.nic.in. It is mandatory to attach a scan copy of all necessary documents as mentioned in the EOI and upload it on e-Tender ortalunder Technical Proposal/Bid Cover.

12. The Organisations shall also quote and upload the percentage of fee in BoQ, which is to be also uploaded on e-Tender Portal. interestedOrganisations willing to pay the percentage fee to the CAD,UP from the fee being charged by them from the users of its services and facilities. The applications received will be preliminary examined by the Director, Civil Aviation, Uttar Pradesh and after examination, the name of the institutions which fulfill all the conditions as per the policy laid down by the State Government, will be forwarded to the expert committee constituted for this purpose along with the application by the Director, CAD, UP. The Committee will submit its recommendations to the Director who will send a proposal to the State Government. The final decision will be taken by the Department of Civil Aviation, Government of Uttar Pradesh.

13. The selected Organisations will enter into a contract with the GoUP in the prescribed format within one month from the receipt of intimation and deposit the required security money / fee. All relevant details shall be mentioned in the contract.

The following procedure will be followed for clarification, if any, on the proposals: -

1. The CAD, UP may require the production of any other document/information as it may deem fit, from the Training Organisations for examining the proposals.

2. If the Training Organisation does not provide or fails to provide the required information within the stipulated period, then the CAD, UP will be free to make a decision, on the basis of available records.

3. The Training Organization will be bound to provide all the information along with the proposal.

9. Redressal of Dispute:

In case any dispute arises between two parties during the implementation of a contract, arbitration can be done by either of the two parties. All disputes arising out shall be referred to the Principal Secretary, Law, Judicial Department, Government of Uttar Pradesh, who shall be Sole Arbitrator. The decision taken by the Sole Arbitrator shall be final and binding on both the parties.The provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply. Place of arbitration shall be at Lucknow. Either party can first submit their representation before the arbitrator. Subject to Jurisdiction of Court shall be at Lucknow.

संलग्नक-3

उड्डयन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और फ्लाईंग क्लब/अकादमियों के लिए हवाई पट्टियों के उपयोग की नीति के लिए

हित अभिव्यक्ति (EOI)

दूरभाष	0522- 2436504	फैक्स	0522- 2435780
वेबसाइट	www.cadup.gov.in	ई-मेल	dgca.up@nic.in

क्रमांक	विवरण	दिनांक	समय
1.	ई-निविदा पोर्टलhttp://etender.up.nic.inपर हित अभिव्यक्ति को प्रकाशित करने का दिनांक		
2.	वेबसाइट में विनिर्दिष्ट रीति में ई-निविदा पोर्टल से हित अभिव्यक्ति (EOI) को डाउनलोड करना		
3.	ई-मेल आईडी पर हित अभिव्यक्ति की पूर्व पृच्छाओं/स्पष्टीकरण का अंतिम दिनांक		
4.	हित अभिव्यक्ति की पूर्व पृच्छाओं के उत्तर का दिनांक		
5.	ई-निविदा पोर्टल पर हित अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के आरम्भ का दिनांक		
6.	ई-निविदा पोर्टल पर हित अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक		
7.	ई-निविदा पोर्टल से हित अभिव्यक्ति के आवेदनों को खोला जाना		
8.	वित्तीय बोली का खोला जाना	बाद में संसूचित किया जायेगा	

हित अभिव्यक्ति को खोले जाने का स्थान: नागरिक उड्डयन निदेशालय

लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ

उत्तर प्रदेश - 226009

प्रक्रिया शुल्क: रूपए 25,000.00 (जी.एस.टी. सहित) वेबसाइट में विनिर्दिष्ट उल्लिखित रीति से आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा किया जायेगा।

नागरिक उड्डयन विभाग,

उत्तर प्रदेश सरकार

अनुक्रमणिका

भाग - एक : आमंत्रण पत्र 4

भाग - दो : सामान्य अनुदेश 5

भाग - तीन : कार्यक्षेत्र 13

1. परिचय 13
2. उद्देश्य 13
3. हवाई पट्टियों की सूची 14
4. नागरिक उड्डयन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संगठनों को प्रदान की जाने वाली सुविधायें ..15
5. संगठनों के दायित्व 17
6. प्रशिक्षण देने वाले संगठनों के लिए पात्रता मानदण्ड/अर्हता 21
7. प्रस्तावों का मूल्यांकन 22
8. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 23
9. विवाद का निवारण 25

भाग - चार : तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रपत्र 26

अनुलग्नक-1 : संगठन/फर्म की सामान्य जानकारी 26

अनुलग्नक-2 : हवाई पट्टी के विकल्प का अनुपालन 27

भाग - 5: वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रपत्र 28

अनुलग्नक-1 : लागत (परिव्यय) संक्षिप्ति का प्रारूप (BOQ) 28

भाग- एक : आमंत्रण पत्र

1. इस हित अभिव्यक्ति के माध्यम से उड्डयन के क्षेत्र में "प्रशिक्षण कार्यक्रमों और फ्लाईंग क्लब/अकादमियों के लिए हवाई पट्टियों के उपयोग पर नीति" के लिए हित अभिव्यक्ति (EOI) हेतु ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित किया जाना आशयित है।

2. हितबद्ध संगठनों को सलाह दी जाती है कि दस्तावेज का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें।

3. इस हित अभिव्यक्ति के सापेक्ष किसी आनलाइन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से यह मान लिया जायेगा कि दस्तावेज को पूरी समझ और इसके निहितार्थ के साथ सावधानीपूर्वक अध्ययन के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है।

4. नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार अपने विवेक से आनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के दिनांक को बढ़ा सकती है। ऐसे मामलों में विभाग और हितबद्ध संगठनों के पूर्ववर्ती अंतिम दिनांक के अध्यधीन समस्त अधिकार और दायित्व इसके पश्चात् इस प्रकार बढ़ाये गये अंतिम दिनांक के अध्यधीन हो जायेंगे।

5. हित अभिव्यक्ति से संबंधित दस्तावेज ई-निविदा पोर्टल http://etender.up.nic.in और नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट www.cadup.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। हितबद्ध संगठन हित अभिव्यक्ति दस्तावेज को ई-निविदा पोर्टल http://etender.up.nic.in पर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आनलाइन प्रस्ताव को केवल ई-टेण्डर पोर्टल अर्थात् http://etender.up.nic.in पर निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित दिनांक और समय तक प्रस्तुत कर सकते हैं:-

हित अभिव्यक्ति संदर्भ संख्या	.....
प्रयोजन	उड्डयन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और फ्लाईंग क्लब/अकादमियों के लिए हवाई पट्टियों के उपयोग पर हित अभिव्यक्ति की नीति
प्रक्रिया शुल्क	हित अभिव्यक्तिको प्रस्तुत करने के अंतिम दिनांक से पूर्व वेबसाइट में यथानिर्दिष्ट रीति में आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से देय "निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश सरकार" के पक्ष में प्रत्येक हवाई पट्टी के लिए रूपए 25,000.00 (अप्रतिदेय) का बैंक ड्राफ्ट
हित अभिव्यक्ति की सूचना के प्रकाशन का दिनांक	ई-निविदा पोर्टल http://etender.up.nic.in पर दिनांक ..... को।
हित अभिव्यक्ति की पूर्व पृच्छायें/स्पष्टीकरण	नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 की ई-मेल आईडी dgca.up@nic.in पर दिनांक ..... 2021 ..... बजे तक।
आनलाइन प्रस्ताव जमा करने का अंतिम दिनांक	दिनांक ..... 2021 ..... बजे तक।

आनलाइन प्रस्ताव/आवेदन प्रस्तुत करने की साइट	http://etender.up.nic.in
हित अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए अधिकारी	निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ
हित अभिव्यक्ति के आनलाइन प्रस्ताव को खोलने का दिनांक	दिनांक ..... 2021को ..... बजे तक
आनलाइन प्रस्ताव को खोलने का स्थान	नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ
नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 का ई-मेल पता	dgca.up@nic.in
सम्पर्क सूत्र	0522-2436504
फैक्स संख्या	0522-2435780

6. विभाग के पास किसी या सभी आनलाइन प्रस्तावों को रद्द करने या हित अभिव्यक्ति प्रक्रिया को इसका कोई कारण बताये बिना निष्प्रभावी करने का अधिकार सुरक्षित है।

7. अभिरुचि वाले संगठनों को सभी आवश्यक दस्तावेजों को इलेक्ट्रानिक रूप से पीडीएफ प्रारूप में अपलोड अवश्य कर लेना चाहिये । यह सुझाव है कि पीडीएफ फाइलों को ग्रे-स्केल में न्यूनतम पठनीय समुचित प्रस्तावों का उपयोग करते हुए बनाया जाना चाहिये जिससे ई-निविदा पोर्टल http://etender.up.nic.in पर तेजगति से अपलोड करने के लिए फाइलों का स्वरूप संक्षिप्त रूप में हो जाए | प्रत्येक लेबल के लिए एक एकल (पृथक) फाइल बनाने के लिए प्रत्येक दस्तावेज लेबल के लिए आवश्यक इलेक्ट्रानिक दस्तावेज (शुल्क विवरण, अनुलग्नक आदि) को एक साथ जोड़ा जा सकता है। एकल नामपट्टिका (लेबल) फाईल का आकार 20-25 MB से अधिक नहीं होना चाहिये ।

भाग- दो : सामान्य अनुदेश

2.1 परिभाषाएँ

इस हित अभिव्यक्ति में निम्नलिखित पदों का अर्थ निम्नवत होगा:-

1. "उत्तर प्रदेश सरकार" का तात्पर्य नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से है, जिसके साथ हित अभिव्यक्ति में चयन के पश्चात बोली लगाने वाला चयनित व्यक्ति संविदा या अनुबन्ध करता है। इस परियोजना में कार्यकारी प्राधिकारी सीएडीयूपी जिसका तात्पर्य निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से है।

2. "हितबद्ध संगठन" का तात्पर्य उड्डयन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने में कार्य कर रहे हित अभिव्यक्ति के नियम 6.2 में यथा परिभाषित किसी न्यास/सोसायटी/कम्पनी/फर्म/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ फ्लाइंग क्लब/संस्थान/अकादमी से है।

2.2 ऑनलाइन प्रस्ताव तैयार करना और उस प्रस्तुत करना

1. ऑनलाइन प्रस्ताव का प्रारूप और उस पर हस्ताक्षर करना:

हितबद्ध संगठन ऑनलाइन प्रस्ताव (पीडीएफ प्रारूप में) की इलेक्ट्रानिक प्रति तैयार करेगा और अपने फर्म के डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट (DSC) के माध्यम से आनलाइन प्रस्ताव को ई-निविदा पोर्टल http://etender.up.nic.in पर अपलोड करेगा ।

2. आनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करना:

हितबद्ध संगठन को अपनी हित अभिव्यक्ति (EOI) को ई-निविदा पोर्टल http://etender.up.nic.in के प्रस्तुतीकरण माड्यूल में केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करना चाहिये। हित अभिव्यक्ति को ई-निविदा पोर्टल http://etender.up.nic.in में दिये गये प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्रारंभ के दिनांक से प्रस्तुत करने के अन्तिम दिनांक तक नियत समय के भीतर ही प्रस्तुत किया जायेगा |

प्रस्ताव और समस्त पत्राचार और दस्तावेज अंग्रेजी में लिखे जायेंगे। संलग्न सामग्री या विवरण पुस्तिका आदि अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में होने की दशा में दस्तावेज के साथ हित अभिव्यक्ति के एक भाग के रूप में उसका सत्यापित अनुवाद संलग्न होना चाहिये । समस्त प्रस्ताव और संलग्न दस्तावेज नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश की सम्पत्ति हो जायेगी और वापस नहीं की जायेगी। ई-टेण्डर अनुसूची में यथा संसूचित ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की समय सीमा का निर्धारण ई-टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in के सर्वर टाइम के आधार पर किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार अपने विवेक से ऑनलाइन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने / खोलने की समय सीमा बढ़ा सकती है। जिस मामले में पूर्व समय सीमा के अध्यधीन उत्तर प्रदेश सरकार और हितबद्ध संगठनों के सभी अधिकार एवं दायित्व तत्पश्चात संशोधित समय सीमा के अध्यधीन होंगे।

हितबद्ध संगठनों द्वारा ई-निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ई-निविदा पोर्टल (http://etender.up.nic.in) पर उपलब्ध है।

हितबद्ध संगठनों को अपने ऑनलाइन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए अधोलिखित अनुदेशों का पालन करना होगा:-

आनलाइन पोर्टल पद्धति के माध्यम से ई-निविदा में सम्मिलित होने के लिए यह आवश्यक है कि हितबद्ध संगठन ई-निविदा पोर्टल http://etender.up.nic.in के पंजीकृत उपयोक्ता हों। इसके लिए अभिरूचि वाले संगठन को ई-निविदा पोर्टल http://etender.up.nic.in पर वैध यूजर आईडी और पासवर्ड तथा आवश्यक प्रशिक्षण/सहायता प्राप्त करने के लिए यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 के कार्यालय में रू0 6000/- (छह हजार रूपए मात्र) जमा करके अपना पंजीयन कराना होगा। हितबद्ध संगठन यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ पर दूरभाष संख्या- 0522-2286808, 2286809, ई-मेल uplclko@gmail.com सम्पर्क कर सकते हैं।

सामान्य पंजीयन के साथ-साथ हितबद्ध संगठन को ऑनलाइन ई-निविदा पोर्टल पद्धति में अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट (DSC) को पंजीकृत करना होगा और इसके बाद उन्हें अपनी ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के क्रियाकलाप की अनुमति दी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) को पंजीकृत करना एक बार का कार्य है जो इसके वैधता की अवधि तक रहेगा। अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) को पंजीकृत करने से पहले अभिरूचि रखने वाले संगठन को लॉगइन आईडी और पासवर्ड के साथ, जिससे उसने उक्त पूर्वगामी प्रस्तर में वर्णित रीति से अपने पंजीकृत किया है, होम पेज पर यूजर लागइन विकल्प का उपयोग करके ई-निविदा पोर्टल http://etender.up.nic.in पर लॉग ऑन करना चाहिए।

ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल http://etender.up.nic.in पर सफलतापूर्वक पंजीकृत करने के लिए बोलीकर्ता को यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि उसके पास नियंत्रक, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी एक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा निर्गत वर्ग-2/वर्ग-3 का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभिरूचि वाला संगठन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए यू0पी0एल0सी0 की वेबसाइट पर उपलब्ध विहित प्रपत्र में रूपए 1704/- प्रति व्यक्ति के शुल्क के भुगतान के साथ यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यू0पी0एल0एस0) 10, अशोक मार्ग, लखनऊ, 226001 के कार्यालय में भी आवेदन कर सकता है।

हितबद्ध संगठन "सर्च एक्टिव प्रपोजल" लिंक के माध्यम से क्रियाशील प्रस्ताव के लिये खोज कर सकता है जिसके लिये उसे एक प्रस्ताव, जिसमें उसका हित हो, का चयन करेगा और इसके बाद आनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण मेन्यू में उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके "My proposal" फोल्डर में आगे जायेगा। प्रस्ताव का चयन करने और इसे देख लेने के पश्चात, जिसके लिये हितबद्ध संगठन ऑनलाइन प्रस्ताव करना चाहता है, हितबद्ध संगठन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प को दबा करके अपना ऑनलाइन प्रस्ताव रख सकता है। हितबद्ध संगठन को इसके पूर्व प्रस्ताव के दस्तावेज को डाउनलोड करके सावधानीपूर्वक इनका अध्ययन कर लेना चाहिये। हितबद्ध संगठन

को ऑनलाइन प्रस्ताव दस्तावेज की अपेक्षाओं के अनुसार सभी दस्तावेजों को पीडीएफ प्रारूप में तैयार रखना चाहिये।

वेबसाइट में उल्लिखित विकल्प को चिन्हित करने के पश्चात अभिरूचि वाले संगठन को "नियम और शर्तें" के पेज की ओर पुन: निर्देशित किया जायेगा। हितबद्ध संगठन को प्रक्रिया शुल्क ऑफलाइन भुगतान विवरण को भरने से पहले "नियम और शर्तें" को पढ़ लेना चाहिये। प्रक्रिया शुल्क विवरण में पहुंच जाने और इसे सुरक्षित कर लेने के पश्चात हितबद्ध संगठन को आनलाइन भुगतान विवरण प्रपत्र में दिये गये विकल्प "Encrypt & Upload" के बटन को दबाना चाहिये जिससे तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण के लिये अपेक्षित दस्तावेज को अपलोड करने के लिये "प्रस्ताव दस्तावेज तैयारी ओर प्रस्तुतीकरण का फलक" खुल जाय |

अपलोड करने के पूर्व हितबद्ध संगठन को सुसंगत डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट का चयन करना होगा। उसे डिजिटल सिगनेचर पासवर्ड, यदि आवश्यक हो, को तुरंत दर्ज करने के लिये कहा जा सकता है | अपलोड करने के लिये हितबद्ध संगठन को तकनीकी अनुसूची/ पैकेट में प्रत्येक नाम पट्टिका दस्तावेज के समक्ष 'ब्राउज' बटन को दबाना चाहिये और तब सुसंगत पीडीएफ फाइल को अपलोड करना चाहिये जो उसके कम्प्यूटर में पहले से ही तैयार और संचित है। अनुसूचियों/ पैकेटों में तकनीकी प्रस्ताव के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को आपस में मिलाया जा सकता है और इसे ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।

हितबद्ध संगठनों को इसके आगे अपेक्षित दस्तावेजों के सफलतापूर्वक एनक्रिप्टिंग और डाउनलोडिंग के लिए "Encrypt" बटन को दबाना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध संगठनों को DSC का उपयोग करके प्रस्ताव के दस्तावेजों को डिजिटल रूप में हस्ताक्षर किया जाता है और इसके पश्चात प्रस्ताव को खोलने वाले के डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट के साथ दस्तावेज इलेक्ट्रानिक रूप में एनक्रिप्ट/तालाबंद हो जाते हैं जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि प्रस्ताव के दस्तावेज सुरक्षित और संचित हैं और संबधित प्रस्ताव खोलने वाले के द्वारा ही खोले जा सकेंगे।

किसी ऑनलाइन प्रस्ताव के सफलतापूर्वक प्रस्तुत हो जाने के पश्चात आनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाने के संक्षिप्त विवरण को देते हुए एक फलक प्रदर्शित होगा जो ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया पूरी होने की पुष्टि करेगा। हितबद्ध संगठन विन्डो में उपलब्ध प्रिन्ट बटन का उपयोग करके भावी संदर्भ के लिए अभिस्वीकृति के रूप में प्रस्ताव संक्षिप्ति की मुद्रित प्रति प्राप्त कर सकता है।

2.3 ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक :

अभिरूचि रखने वाले संगठनों द्वारा ई-निविदा पोर्टल http://etender.up.nic.in पर ऑनलाइन प्रस्ताव दस्तावेज में निर्दिष्ट दिनांक और समय से पूर्व अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश सरकार ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अंतिम दिनांक को हित अभिव्यक्ति में संशोधन करके बढ़ा सकती है और ऐसी दशा में उत्तर प्रदेश सरकार और अभिरूचि वाले संगठनों के पूववर्ती अंतिम दिनांक के अध्यधीन समस्त दायित्व और अधिकार इसके पश्चात इस प्रकार बढ़ाये गये अंतिम दिनांक के अध्यधीन हो जायेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार किसी भावी संगठन द्वारा हित अभिव्यक्ति से सम्बन्धित दस्तावेजों को डाउनलोड करने में किसी विलम्ब के कारण ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये अंतिम दिनांक बढ़ाये जाने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं करेगी। ऑनलाइन प्रस्तावों को भाग-एक में यथा उल्लिखित दिनांक और समय को या इसके पूर्व ई-निविदा पोर्टल http://etender.up.nic.in पर अपलोड किया जाना चाहिए।

2.4 ऑनलाइन प्रस्ताव को वापस लेना और पुन: प्रस्तुत करना :

हितबद्ध संगठन ऑनलाइन प्रस्तुत किये गये अपने ऑनलाइन प्रस्ताव को ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अन्तिम दिनांक और समय से पहले किसी भी समय वापस ले सकते हैं। हितबद्ध संगठन को वापस लेने के लिए पहले अपने लॉग-इन आईडी और पासवर्ड को लॉग-इन करना चाहिए और इसके बाद ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल http://etender.up.nic.in पर अपने डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट द्वारा लॉग-इन करना चाहिए। इसके पश्चात हितबद्ध संगठन को "बोली/प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण" मेन्यू में "माय बिड/प्रोपोजल" के विकल्पों का चयन करना चाहिए। यहां पर हितबद्ध संगठनों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्ताव प्रदर्शित होंगे। वापस लिये जाने वाले प्रस्तावों के विवरण को देखने के लिए "View" बटन दबायें। "बिड/प्रपोजल विदड्राल" विकल्प का चयन करने के बाद हितबद्ध संगठन को चयनित प्रस्ताव के लिए प्रस्ताव सूचना विन्डो में प्रदर्शित "क्या आप प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं" पर "हाँ" का बटन दबाना होगा। हितबद्ध संगठन को "सबमिट" बटन दबाने से पहले प्रस्ताव वापसी के कारणों को दर्ज करना होगा और वापसी के कारणों को देते हुए पत्र भी अपलोड करना होगा। अपने चयनित प्रस्ताव को अन्तिम रूप से वापस लेने से पहले हितबद्ध संगठन को "ओके" बटन दबाकर पुन: पुष्टि करना होगा। एक बार अपना प्रस्ताव वापस लेने के बाद हितबद्ध संगठन इस प्रस्ताव को पुन: प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।

हितबद्ध संगठन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अंतिम दिनांक और समय तक, जैसे और जब भी आवश्यक हो, अपने ऑनलाइन प्रस्ताव को पुन: प्रस्तुत कर सकते हैं। नया प्रस्ताव पूर्व में प्रस्तुत किये गये ऑनलाइन प्रस्ताव के स्थान पर आ जायेगा। हितबद्ध संगठन द्वारा पूर्व में किये गये भुगतान का उपयोग पुनरीक्षित ऑनलाइन प्रस्ताव के लिए हो जाएगा और पुनरीक्षित ऑनलाइन प्रस्ताव को सफलतापूर्वक प्रस्तुत हो जाने के बाद सृजित प्रस्ताव संक्षिप्ति पर मूल्यांकन प्रयोजनों के लिये माना जायेगा। हितबद्ध संगठनों को पुन: प्रस्तुत करने के लिए पहले अपने लॉग-इन आईडी और पासवर्ड से लॉग-इन करना होगा और इसके बाद ई-निविदा प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://etender.up.nic.in पर अपने डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट का उपयोग करके लॉग-इन करना होगा। इसके बाद हितबद्ध संगठन को "बोली/प्रपोजल प्रस्तुतीकरण" मेन्यू में "माय बिड" के विकल्प का चयन करना होगा। यहां पर हितबद्ध संगठनों की प्रस्तुत की गयी सभी बोलियाँ प्रदर्शित की जायेंगी। पुन: प्रस्तुत की गयी सभी बोलियों को देखने के लिए "View" बटन दबायें। "बोली पुन: प्रस्तुतीकरण" के विकल्प का चयन करने के बाद उपरोक्त खण्ड 9 (ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करना) में दी गयी प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित ऑनलाइन प्रस्ताव दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए "एनक्रिप्ट और अपलोड" बटन दबायें।

हितबद्ध संगठन अपनी पुरीक्षित बोली/प्रस्ताव को ऑनलाइन प्रस्ताव के लिए अनुसूचित दिनांक और समय के भीतर अपने ऑनलाइन प्रस्ताव दस्तावेज को जितनी बार चाहें उतनी बार अपलोड कर सकते हैं।

किसी भी ऑनलाइन प्रस्ताव को ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिनांक के पश्चात पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

2.5 नागरिक उड्डयन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ऑनलाइन प्रस्तावों की प्राप्ति और खोला जाना :

हितबद्ध संगठनों को परामर्श दिया जाता है कि अपने ऑनलाइन प्रस्ताव को 'द्विबोली' प्रणाली में ई-निविदा पोर्टल पर तकनीकी और वित्तीय बोली को पृथक-पृथक प्रस्तुत करें।

तकनीकी बोली/आवेदन में वित्तीय बोली को उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए। वित्तीय बोली को केवल वित्तीय बोली में ही उद्धृत किया जाना चाहिए। ई-निविदा पोर्टल पर प्राप्ति के बाद तकनीकी प्रस्तावों को नागरिक उड्डयन विभाग, लखनऊ के कार्यालय में हित अभिव्यक्ति मूल्यांकन समिति (EC) के सदस्यों द्वारा सबसे पहले खोला जाएगा।

भाग-एक में उल्लिखित दिनांक और समय पर हितबद्ध संगठनों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो सम्मिलित होना चाहें, की उपस्थिति में नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ में सभी ऑनलाइन प्रस्ताव विभाग द्वारा खोले जायेंगे। हितबद्ध संगठनों के प्रतिनिधि, जो उपस्थित हों, अपनी उपस्थिति को उपस्थिति पत्रक पर दर्ज करेंगे। ऑनलाइन प्रस्ताव को खोले जाने के विनिर्दिष्ट दिनांक को नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0/निविदा आमंत्रण अधिकारी के लिए अवकाश घोषित किये जाने की दशा में ऑनलाइन प्रस्ताव को अगले कार्य दिवस पर नियत समय पर खोला जाएगा।

हितबद्ध संगठनों के नाम, उपस्थिति और अन्य विवरण, जैसा नागरिक उड्डयन विभाग उ0प्र0/निविदा आमंत्रण प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझा जाय, को ऑनलाइन प्रस्ताव खोलने के समय उद्घोषित किया जाएगा। ऐसे हितबद्ध संगठनों के नाम, जो अपेक्षित अर्हता पूरी नहीं करते हैं, को बाद में अधिसूचित किया जायेगा।

तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकन के पश्चात् नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश उन हितबद्ध संगठनों, जिनके ऑनलाइन प्रस्ताव को संविदा की शर्तों के अनुकूल नहीं समझा गया हो और अर्हता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हों, के नाम अधिसूचित करेगा जो इस बात का संकेत होगा कि उन्होंने इस हित अभिव्यक्ति के लिए तकनीकी अर्हता नहीं प्राप्त की है। नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश ई-निविदा पोर्टल http://etender.up.nic.in पर साथ-साथ उन हितबद्ध संगठनों के नाम भी अधिसूचित करेगा जिनके तकनीकी आनलाइन प्रस्ताव/आवेदन को स्वीकार योग्य समझा गया हो और उनके वित्तीय ऑनलाइन प्रस्ताव को खोलने के लिए अलग सूचीबद्ध कर लिया गया है।

भाग- तीन : कार्यक्षेत्र

1. परिचय :

नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (CADUP) के पास प्रचालन क्षेत्र में सत्रह (17) हवाई पट्टियाँ हैं। नागरिक उड्डयन विभाग इन हवाई पट्टियों का उपयोग रोटरी और फिक्स्ड विंग दोनों ही विमानों के संचालन के लिए करता रहा है।

नागरिक उड्डयन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकार किये गये और चलाये गये वायुयान प्रचालन पूर्व तथा पूर्णतया राज्य सरकार के वी0वी0आई0पी0/वी0आई0पी0 की आवश्यकताओं के अनुसार या राज्य सरकार द्वारा आज्ञापित अन्य परिचालनों को चलाने के लिए हैं। राज्य के स्वामित्वाधीन हवाई पट्टियाँ भली-भांति अनुरक्षित हैं और उड़ान संबंधी अन्य कार्यकलापों को चलाने के लिए पर्याप्त अवसंरचना सुविधाओं से युक्त हैं, जैसे कि उड़ान/पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम/ विमान अनुरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम या उड्डयन संबंधी कोई अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम या समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी उड़ान क्लब/अकादमी को चलाना (राज्य के स्वामित्वाधीन हवाई पट्टियाँ भली-भांति सुरक्षित हैं और उड़ान प्रशिक्षण/अनुरक्षण प्रशिक्षण और उड़ान क्लब/अकादमी संचालित करने का बड़ा अवसर देती हैं)। इन हवाई पट्टियों का अच्छा उपयोग किया जा सकेगा क्योंकि ये ऐसे स्थान पर हैं जहाँ वर्ष के अधिकतम भाग में मौसम अच्छा रहता है और बहुत अच्छी तरह से प्रमुख स्थानों से जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में निवेश करने वाले संगठनों की वृद्धि में सुविधा देने के प्रयोजन से त्वरित, सहायक, पारदर्शी और प्रेरक वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने ज्युरिख इन्टरनेशनल एयरपोर्ट ए0जी0 के सहयोग से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) के रूप में नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास के माध्यम से उड्डयन क्षेत्र में तेजी लाने के अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया है। राज्य सरकार राज्य भर में 8 नए एयरपोर्ट को विकसित कर रही है और 3 अन्य हवाई अड्डों को विकसित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की प्रक्रिया में भी है। इसी प्रकार राज्य सरकार राज्य में उड्डयन के क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधायें/उड़ान क्लब/अकादमियों की स्थापना के लिए उत्सुक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

2. उद्देश्य :

उड्डयन के क्षेत्र में उड़ान क्लबों/अकादमियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए हवाई पट्टियों के उपयोग पर नीति के अन्तर्गत इस हित अभिव्यक्ति का मुख्य उद्देश्य निम्नवत है:-

- नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (आगे इसे उत्तर प्रदेश सरकार कहा गया है) के पास उपलब्ध उड्डयन संबंधी अवस्थापना का प्रमाणित उड़ान/पायलट प्रशिक्षण/अनुरक्षण प्रशिक्षण संगठनों द्वारा उड़ान/पायलट/अनुरक्षण प्रशिक्षण या उड्डयन संबंधी अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम या उड़ान क्लब/अकादमी चलाने के लिए अधिकतम उपयोग करना (जिसे आगे संगठन कहा गया है)।

- नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और उड़ान परिवेश पद्धति के लिए प्रेरक वातावरण प्रदान करना।

- नागरिक उड्डयन विभाग के उपलब्ध विविध अवस्थापनाओं जैसे हवाई पट्टी, विमानशालाओं, टर्मिनल भवन, पार्किंग क्षेत्र, अतिथि गृहों आदि के अप्रयुक्त क्षमताओं को काम में ले आना।

- उड्डयन के क्षेत्र में व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध करा करके प्रशिक्षित उड्डयन संबंधी कार्मिकों की बढ़ती मांग को पूरा करना।
- तकनीकी/गैर तकनीकी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन और विस्तार करना।
- उत्तर प्रदेश राज्य को विविध उड़ान/पायलट प्रशिक्षण संगठन/क्लब अकादमियों को सुविधायें प्रदान करके उड्डयन संबधी प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यकलापों के केन्द्र के रूप में विकसित करना।

3. हवाई पट्टियों की सूची :

निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश (जिन्हें आगे ना0उ0वि0, उ0प्र0 कहा गया है) निम्नलिखित राज्य स्वामित्वाधीन हवाई पट्टियों को वर्तमान में प्रस्तुत करने पर विचार कर रहा है। ना0उ0वि0, उ0प्र0 पायलटों, इंजीनियरों, तकनीशियनों, उड़ान डिस्पैचरों, केबिन क्रू आदि के लिए डी0जी0सी0एस0 अनुमोदित उड्डयन संबंधी पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण के एकमात्र प्रयोजन से संगठनों को निम्नलिखित हवाई पट्टियों के उपयोग की अनुमति प्रदान कर सकते हैं:-

1.	धनीपुर (अलीगढ़)
2.	सैफई (इटावा)
3.	रसूलाबाद (कानपुर देहात)
4.	मरहमताबाद (फर्रूखाबाद)
5.	अकबरपुर (अम्बेडकरनगर)
6.	अन्धऊ (गाजीपुर)
7.	पलिया (लखीमपुर खीरी)
8.	अमहट (सुल्तानपुर)
9.	श्रावस्ती
10.	आजमगढ़
11.	चित्रकूट
12.	म्योरपुर (सोनभद्र)
13.	झाँसी
14.	कोई अन्य हवाई पट्टी (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस विशिष्ट प्रयोजन के लिए जैसा विनिर्दिष्ट और प्राधिकृत किया जाय)

उपरोक्त हवाई पट्टियों का उड्डयन क्षेत्र से संबंधित किसी प्रशिक्षण को प्रदान करने या अन्य क्रियाकलाप के लिए उड़ान प्रशिक्षण संस्थान/विमान अनुरक्षण प्रशिक्षण संस्थान/उड़ान अकादमी या कोई अन्य संस्था स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्यक प्रक्रिया के माध्यम से चयन के पश्चात् जैसे और जब भी उपलब्ध हो, उपयोग किया जा सकता है।

4. नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संगठनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :

नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संगठनों को निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी:-

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संगठनों को आवंटित उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्वाधीन हवाई पट्टियों के उपयोग की कतिपय शर्तों के अधीन अनुमति।

2. उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्वानुमति से विमानों के अनुरक्षण और रखने के लिए चिन्हित हवाई पट्टियों में विमानशालाओं के उपयोग की अनुमति होगी। विमानशालाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अभिनिर्धारित अतिरिक्त लागत/किराये पर संगठनों को आवंटित किया जायेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी समय आवश्यकता होने पर छह माह की पूर्व सूचना पर विमानशालाओं को वापस लिया जा सकेगा।

3. उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्वानुमोदन से चयनित हवाई पट्टियों में संरचनाओं/भवनों का (पूर्ण या आंशिक रूप से) उपयोग करने की अनुमति/संरचनाओं/भवनों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अभिनिर्धारित अतिरिक्त लागत/किराये पर संगठनों को आवंटित किया जायेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी समय आवश्यकता होने पर छह माह की पूर्व सूचना पर संरचनाओं/भवनों को वापस लिया जा सकेगा।

4. उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रशिक्षण सुविधायें सृजित करने के लिए भूमि (उपलब्धता के अधीन) के उपयोग की अनुमति होगी। भूमि को ना0उ0वि0, उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर अभिनिर्धारित अतिरिक्त लागत/दर पर संगठनों को आवंटित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी समय आवश्यकता होने पर छह माह की पूर्व सूचना पर भूमि को वापस लिया जा सकेगा। अनुबन्ध की अवधि पूरी होने/समाप्त होने पर संगठन द्वारा आवंटित भूमि पर निर्मित कोई भवन या संरचना (अचल) उत्तर प्रदेश सरकार की सम्पत्ति हो जायेगी और इसमें निहित हो जायेगी।

5. प्रशिक्षण कार्य की आवश्यकता के अनुसार रात्रि में विमान उतरने के लिए सैफई (जिला इटावा) हवाई पट्टी के उपयोग की (ना0उ0वि0, उ0प्र0 द्वारा विनिश्चत अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर) अनुमति।

6. संगठन द्वारा रनवे, विमानशाला या किसी अन्य संरचना को हुए नुकसान की लागत का भुगतान दोनों पक्षों द्वारा इसके संयुक्त निरीक्षण के पश्चात नुकसान के आंकलन के अनुसार संगठन द्वारा ना0उ0वि0, उ0प्र0 को किया जाएगा।

7. सरकार किसी एक हवाई पट्टी के उपयोग की एक से अधिक संगठनों को साझे में बारी-बारी से करने के आधार पर अनुमति दे सकती है। एक हवाई पट्टी पर प्रशिक्षण की प्रकृति के आधार पर अधिकतम चार संगठनों को प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की अनुमति दी जा सकती है, जो संचालित किये जाने वाले प्रशिक्षणों, इसकी प्रशिक्षण क्षमता, संरचनात्मक आवश्यकताओं और हवाई पट्टी पर उपलब्ध संरचना पर निर्भर होगी। किसी हवाई पट्टी पर अनुमति दिये जाने वाले संगठनों की संख्या के सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अपने क्रियाकलापों को चलाने के समय के बारे में संगठनों द्वारा आपस में तय किया जाएगा; तथापि किसी विवाद के मामले में प्रकरण को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

8. उड़ान/पायलट प्रशिक्षण/ अनुरक्षण प्रशिक्षण संस्थान/उड़ान क्लब/अकादमी संचालित करने के प्रयोजन से अपेक्षित समस्त आवश्यक स्वीकृति/अनुज्ञापत्र/अनुमोदन/अनुमति प्रचालन आरम्भ करने के पूर्व संगठन द्वारा नियामक प्राधिकरणों यथा महानिदेशक, नागरिक उड्डयन, भारत सरकार, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, स्थानीय प्राधिकारियों आदि से प्राप्त किये जायेंगे।

9. संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि ना0उ0वि0, उ0प्र0 द्वारा स्वामित्वाधीन विमान और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार या ना0उ0वि0, उ0प्र0 या स्थानीय प्राधिकारियों के विमान के प्रचालन (यथा उतरने, उड़ान भरने और ठहराने) के लिए, जैसा और जब भी उनके द्वारा अपेक्षित हो, हवाई अड्डा उपलब्ध रहेगा। संगठन किसी नुकसान या प्रतिपूर्ति, जो भी हो, के लिए इस बारे में हकदार नहीं होगा।

10. संगठन उन हवाई पट्टियों का किसी भी समय उपयोग करने वाले सभी राजकीय विमानों को अपेक्षित स्थल प्रबन्ध सुविधायें उपलब्ध करायेगा। एक से अधिक प्रशिक्षण संगठन द्वारा हवाई पट्टी का उपयोग करने के मामले में निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश रोस्टर का विनिश्चय करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसके अनुसार इन संगठनों द्वारा यह सेवायें प्रदान की जायेंगी। इन सेवाओं को प्रदान करने वाले संगठनों को ना0उ0वि0, उ0प्र0 द्वारा किसी शुल्क का भुगतान नहीं किया जायेगा।

11. उत्तर प्रदेश सरकार का सक्षम प्राधिकारी या नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, समय-समय पर जैसा और जब अपेक्षित हो, हवाई अड्डा का निरीक्षण कर सकता है और किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर ना0उ0वि0, उ0प्र0 सुविधाओं को समुचित रीति से बनाये रखने के लिए संगठन को निर्देश दे सकता है।

12. संगठन को उनके द्वारा चलाये जा रहे क्रियाकलापों का ब्यौरा/उड़ान से संबंधित त्रैमासिक विवरण अपेक्षित प्रारूप में ना0उ0वि0, उ0प्र0/निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करना होगा।

13. संगठन को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अनुबन्ध में निर्देशित निबंधन और शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। संगठन द्वारा किसी उपेक्षा/चूक, जिससे अनुबन्ध की निबन्धन और शर्तें भंग होती हैं, से अनुबन्ध में यथा निर्देशित दण्डात्मक कार्यवाही हो सकती है।

14. उत्तर प्रदेश सरकार के अनुमोदन से नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश हित अभिव्यक्ति में अभिव्यक्त किसी अनुमति को व्यापक जनहित में रद्द कर सकता है या वापस ले सकता है।

5. संगठनों के दायित्व :

चयनित संगठनों की भूमिका निम्नवत होगी:-

1. चयनित संगठन ना0उ0वि0, उ0प्र0 से सम्यक् मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात आवंटित हवाई पट्टियों पर उड़ान/पायलट प्रशिक्षण/विमान अनुरक्षण प्रशिक्षण या उड्डयन से संबंधित किसी अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम या उड़ान क्लब/अकादमी के लिए आवश्यक संरचना के साथ सुविधायें स्थापित करेगा। सुविधा का मानचित्र और अभिकल्प सीएडी, यूपी को प्रस्तुत किया जायेगा जो संवीक्षा (मानदण्डों की पूर्ति के सम्बन्ध में) के पश्चात अपनी सहमति संगठन को संसूचित कर सकता है।

2. चयनित संगठन इस हित अभिव्यक्ति की प्रचलित नीति का कड़ाई से पालन करेगा और महानिदेशक, नागरिक उड्डयन (डी0जी0सी0ए0), भारत सरकार के नियामक अपेक्षाओं यथा नागरिक उड्डयन नियमावली, भारतीय वायुयान अधिनियम 1934, भारतीय वायुयान नियमावली 1937, मजदूरी अधिनियम/नियमावलियाँ, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नियामक अपेक्षाओं और भारत एवं उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

3. चयनित संगठन महानिदेशक, नागरिक उड्डयन, भारत सरकार और अन्य सभी नियामक प्राधिकरणों से सभी आवश्यक मंजूरी/ अनुमोदन/ अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेगा जो प्रशिक्षण या ना0उ0वि0, उ0प्र0 से अनुमति प्राप्त उड्डयन सम्बन्धी किसी अन्य क्रियाकलाप को आरम्भ करने और संचालित करने के लिए अनिवार्य हों।

4. चयनित संगठन उपयोक्ताओं के लिए समस्त अनिवार्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था, जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों या समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा अनिवार्य कृत अन्य कार्यकलापों के सुगम, सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए अपेक्षित हों, अपने व्यय और जोखिम पर सुनिश्चित करेगा।

5. चयनित संगठन अपने क्रियाकलापों के संचालन के लिए अपनी व्यापक संरचनात्मक विकास योजना प्रस्तुत करेगा और ना0उ0वि0, उ0प्र0 से मंजूरी प्राप्त करेगा। किसी संगठन द्वारा अपने क्रियाकलापों के संचालन की अवधि के दौरान सृजित स्थावर संरचना, हवाई पट्टी के उपयोग की अनुमति समाप्त होने के बाद नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश की सम्पत्ति हो जायेगी।

6. चयनित संगठन राज्य सरकार , सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट या ना0उ0वि0, उ0प्र0 अथवा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण, प्राधिकारी अथवा व्यक्तियों द्वारा हवाई पट्टी (और ना0उ0वि0, उ0प्र0 की अन्य समस्त संरचनात्मक सुविधाओं) के उपयोग में किसी भी रूप में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

7. चयनित संगठन मानदण्डों के अनुरूप अग्नि से सुरक्षा, अग्निशमन उपस्कर और सभी आवश्यक अन्य उपस्कर स्थापित करके आग और अन्य जोखिमों से सम्पत्ति की सुरक्षा और बचाव की व्यवस्था करेगा और संगठन द्वारा चलाये जाने वाले क्रियाकलापों के लिए अग्निशमन सेवा प्राधिकारियों से स्वयं अपनी ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

8. परिसर की सुरक्षा एवं परिसर में प्रवेश पर नियंत्रण का दायित्व चयनित संगठन का होगा और इसके लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कार्मिक तैनात किये जायेंगे। प्रशिक्षक वर्ग कर्मचारिवर्ग,

प्रशिक्षुगण के सभी सदस्यों या संगठन के सम्यक रूप से प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों को पहचान पत्र निर्गत किये जायेंगे और किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। तथापि राज्य सरकार/ जिला प्रशासन के अधिकारी या ना0उ0वि0/ जिला प्रशासन द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारियों को अपना वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश का अधिकार होगा।

9. चयनित संगठन अपने द्वारा सृजित भवन/ सुविधाओं का बीमा कवर सुनिश्चित करेगा। प्रशिक्षण प्रक्रिया से जुड़े अपने समस्त कर्मचारियों/ प्रशिक्षुओं का भी बीमा यह करायेगा। ना0उ0वि0, उ0प्र0 किसी भी प्रकार की की जान-माल की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

10. चयनित संगठनों को हवाई पट्टी और सम्बद्ध संरचना के उपयोग सम्बन्ध में दी गयी अनुमति पूरी तरह अस्थायी प्रकृति की होगी और ना0उ0वि0, उ0प्र0 की छह माह की पूर्व सूचना पर इस अनुमति को किसी भी समय वापस लेने का अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में संगठन द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं की जायेगी न ही इसके लिए राज्य सरकार द्वारा उसे कोई भुगतान या प्रतिपूर्ति की जायेगी। हवाई पट्टी के उपयोग के लिए अनुमति की वापसी के दिनांक से और संविदा को रद्द करने की सूचना निर्गत हो जाने पर संगठन द्वारा किसी भी छात्र को प्रवेश/पंजीकृत नहीं किया जायेगा; यदि इसके बाद संगठन द्वारा किसी भी छात्र का पंजीयन किया जाता है तो वह वैध नहीं माना जायेगा।

11. संगठन को उत्तर प्रदेश सरकार को तीन माह की पूर्व सूचना देकर अनुबन्ध को समाप्त करने की अनुमति होगी।

12. चयनित संगठन को ना0उ0वि0, उ0प्र0 द्वारा प्राधिकृत क्रियाकलापों से भिन्न क्रियाकलापों के प्रयोजन के लिए हवाई पट्टी या इससे सम्बन्धित किसी अन्य संरचना का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

13. चयनित संगठन समस्त अधिष्ठापनों भवनों और विमानशालाओं का अनुरक्षण और मरम्मत अपने स्वयं के व्यय पर कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

14. चयनित संगठन या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हवाई पट्टी और सम्बद्ध संरचना का ना0उ0वि0, उ0प्र0 द्वारा यथा प्राधिकृत उपयोग के अतिरिक्त किसी भी रूप में वाणिज्यिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित होगा और इसका किसी भी तरह उल्लंघन होने पर वृहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी जो प्रतिभूति जमा के अभिग्रहण तक और संगठन द्वारा सम्पत्ति के अप्राधिकृत उपयोग के माध्यम से अर्जित धनराशि की वसूली तक हो सकती है।

15. चयनित संगठन चयनित हवाई पट्टी पर अपने कार्यकलापों को संचालित करने के लिए स्वयं द्वारा उपयोग की गयी सुविधाओं और सेवाओं के लिए विद्युत, जल, स्वच्छता, जल निकासी, सुरक्षा, अग्निसुरक्षा आदि से सम्बन्धित व्यय वहन करेगा।

16. चयनित संगठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यथा अभिनिर्धारित रूपये 10 लाख की धनराशि की प्रतिभूति उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में संदेय बैंक गारण्टी के रूप में जमा करेगा। दोनों पक्षों के मध्य अनुबन्ध में उल्लिखित किसी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में प्रतिभूति जमा जब्त हो जायेगी।

17. चयनित संगठन प्रत्येक हवाई पट्टी के उपयोग के लिए 10.00 लाख रूपये का नियत हवाई पट्टी उपयोक्ता शुल्क का प्रति वर्ष भुगतान करेगा। अनुबन्ध के समय संगठन द्वारा प्रथम 05 वर्षो के लिए कुल 50 लाख रूपये की धनराशि जमा की जायेगी और पॉचवें वर्ष के प्रथम माह में शेष 05 वर्षो के लिए कुल 50.00 लाख रू0 की धनराशि जमा की जाएगी। विमानशालाओं, भवनों (जहाँ जागू हो) और अन्य सुविधाओं के लिए वार्षिक प्रभार समय-समय पर पृथक से अभिनिर्धारित किया जायेगा।

18. संगठन अपनी सेवाओं/ सुविधाओं के प्रत्येक उपयोक्ता से संग्रहीत सकल योग शुल्क (जीएसटी और डीजीसीए को संदेय प्रभार को छोड़कर) के न्यूनतम 3% के समतुल्य या निविदा में यथा उद्धृत राशि का प्रति छात्र शुल्क का भुगतान भी प्रत्येक त्रैमास (प्रत्येक त्रैमास के सातवें दिन तक) करेगा। छात्रों/ प्रतिभागियों की संख्या को डीजीसीए (या ऐसे मामलों में जहां डीजीसीए छात्रों के आंकड़ों को अभिलिखित नहीं करता हो तो सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट) द्वारा प्रमाणित/ सत्यापित किया जायेगा। शुल्क का अवधारण संगठन द्वारा किया जायेगा और ना0उ0वि0, उ0प्र0 को संसूचित किया जायेगा। संग्रहीत प्रभार/ शुल्क छात्र दर छात्र भिन्न-भिन्न हो सकता है, परन्तु यह भिन्नता प्रशिक्षण शुल्क की गणना के प्रयोजन से 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। संगठन के दस्तावेजों/ लेखों का परीक्षण ना0उ0वि0, उ0प्र0 द्वारा स्वयं या इसके द्वारा नियुक्त किसी अभिकरण के माध्यम से किया जा सकता है, जिसका प्रयोजन छात्रों/ प्रतिभागियों की संख्या के सम्बन्ध में घोषणा और शुल्क समुचित है या नहीं, के सत्यापन के लिए होगा।

19. चयनित संगठनों को हवाई पट्टी, विमानशाला और अन्य सुविधाओं (अपेक्षित शुल्क के भुगतान के अध्यधीन) को 10 वर्ष की अवधि के लिए उपयोग के लिए दिया जायेगा और तद्नुसार उक्त अवधि के लिए संविदा निष्पादित की जायेगी।

20. निदेशक, ना0उ0वि0, उ0प्र0 प्रत्येक वर्ष संगठन द्वारा संविदा के निबन्धनों के अनुपालन की समीक्षा करेगा। संगठन द्वारा संविदा की किसी शर्त का यदि उल्लंघन किया जाता है तो यह अनुमति वापस ले ली जायेगी। संगठन द्वारा संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

6. प्रशिक्षण देने वाले संगठनों के लिए पात्रता मानदण्ड/अर्हता :

संगठन द्वारा हवाई पट्टी सम्बद्ध संरचना के उपयोग के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित पात्रता/ अर्हता पूरी की जायेगी:-

1. संगठन को अपने द्वारा किये जाने के लिये आशयित उड्डयन सम्बन्धी क्रियाकलापों को चलाने के लिए भारत में या भारत से बाहर के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों को अनुमोदित करने के लिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकारी की सक्षमता के सम्बन्ध में किसी विवाद/ संदेह के मामले में, महानिदेशक, नागरिक उड्डयन (डीजीसीए), भारत सरकार का अपेक्षित स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा और इस सम्बन्ध में डीजीसीए का निर्णय अंतिम होगा।
2. संगठन के प्रबन्धक, अध्यक्ष तथा सदस्य के लिए यह अपेक्षित है कि वह भारत का नागरिक हो

या

फर्म होने की स्थिति में भागीदारी को भारत का नागरिक होना चाहिए

या

कोई समूह जो भारत का नागरिक हो या सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई न्यास/ सोसायटी

या

विदेशी कारपारेट निकाय जिसका कार्यालय भारत में हो

या

कम्पनी अधिनियम 2013 (पहले 1956) के अधीन भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी जिसका कार्यालय भारत में हो

या

केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम

3. संगठन/फर्म/कम्पनी/समूह आदि की कुल पूँजी या समादत्त पूंजी पॉच करोड़ रूपए से अधिक की होनी चाहिए।

7. **प्रस्तावों का मूल्यांकन :**

प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण/मूल्यांकन निम्नलिखित विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जायेगा:-

1.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी जो उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव या उससे उच्च हो	अध्यक्ष
2.	उप निदेशक, उड़ान योग्यता, नागरिक उड्डयन विभाग, भारत सरकार या डी0जी0सी0ए0 द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी	सदस्य
3.	वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश	सदस्य
4.	मुख्य अभियन्ता, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश	सदस्य
5.	प्रमुख प्राध्यापक, वैमानिकी प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6.	प्रभारी अधिकारी (हवाई पट्टी), नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन द्वारा नामनिर्दिष्ट नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश का एक पायलट	सदस्य
8.	निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और कोई सूचना जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश को प्राधिकृत किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार कोई कारण दिये बिना किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है।

8. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

1. हित अभिव्यक्ति (ई0ओ0आई0) को ई-निविदा पोर्टल http://etender.up.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है और नागरिक उड्डयन विभाग की वेबसाइट अर्थात www.cadup.hov.in पर भी उपलब्ध होगी।

2. हितबद्ध संगठन प्रत्येक हवाई पट्टी के लिए "निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश" के पक्ष में 25,000/-रूपये (अप्रतिसंदेय) का प्रक्रिया शुल्क ई-निविदा पोर्टल पर हित अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के अन्तिम दिनांक को या इससे पहले, ऑनलाइन जमा करेगा और ऐसा न करने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। शुल्क को केवल ऑनलाइन अंतरण के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
3. आवेदन/प्रस्ताव सहित इस ऑनलाइन संव्यवहार की प्राप्ति को भावी संदर्भ के लिए ई-निविदा पोर्टल http://etender.up.nic.in पर अपलोड किया जाना चाहिए।
4. हितबद्ध संगठन उपर्युक्त एक या उससे अधिक हवाई पट्टियों पर प्रशिक्षण के लिए अपने हित अभिव्यक्ति को ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।
5. ना0उ0वि0, उ0प्र0 द्वारा किसी एक हवाई पट्टी पर उड्डयन सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए प्रति हवाई पट्टी अधिकतम चार संगठनों के अध्यधीन एक से अधिक संगठनों को अनुमति दी जा सकती है।
6. हितबद्ध संगठन, हित अभिव्यक्ति में एक या उससे अधिक स्थानों (हवाई पट्टियों) के नाम का उल्लेख करेंगे।
7. प्रत्येक हितबद्ध संगठन को उड्डयन से सम्बन्धित क्रियाकलाप उपक्रमित करने के लिये चयनित किये जाने की स्थिति में अपनी सेवायें और सुविधाएँ प्रदान करने के लिये ना0उ0वि0, उ0प्र0 को भुगतान की जाने वाली अपनी फीस प्रतिशत से सम्बन्धित उद्धरण भी प्रस्तुत करना होगा। यदि चार से अधिक संगठन (जो अपना प्रचालन संचालित करने हेतु प्राविधिक रूप से अन्य रूप में अर्ह हों) किसी हवाई पट्टी के लिये आवेदन करते हैं तो ना0उ0वि0, उ0प्र0 को उच्चतम अंश वाले शुल्क (उनके द्वारा प्रभारित किये जाने पर) भुगतान का प्रस्ताव करने वाले उच्चतम चार संगठनों को अपनी सेवाएं तथा सुविधाएं प्रदान करने की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।
8. हितबद्ध संगठन हित अभिव्यक्ति के आवेदन/प्रस्ताव में अपना वित्तीय उद्धरण (शुल्क प्रतिशत) सम्मिलित नहीं करेंगे। हित अभिव्यक्ति/बोली/प्रस्ताव के निम्नलिखित भाग होंगे:-

   (एक) तकनीकी अर्थात हित अभिव्यक्ति आवेदन/प्रस्ताव

   (दो) वित्तीय अर्थात सेवायें देने के लिए फीस का प्रतिशत
9. चूंकि यह दो बोली लिफाफा (आवरण) प्रणाली है अतएव वित्तीय व्यवस्था को बी0ओ0क्यू0 में उद्धृत किया जायेगा, जिसे ई-निविदा पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।
10. ऐसे हितबद्ध संगठनों, जो एक से अधिक हवाई पट्टी के लिए आवेदन करते हैं, की प्रत्येक हवाई पट्टी के लिए एक पृथक इकाई के रूप में गणना की जायेगी।
11. हितबद्ध संगठन अपना प्रस्ताव आनलाइन ई-निविदा पोर्टल http://etender.up.nic.in के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। हित अभिव्यक्ति में यथा उल्लिखित सभी आवश्यक

दस्तावेजों की स्कैन प्रति संलग्न करना और इस तकनीकी प्रस्ताव/बोली लिफाफा के अधीन ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।

12. समिति अपनी संस्तुतियाँ निदेशक को प्रस्तुत करेगी जो राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। अंतिम निर्णय नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया जाएगा।
13. चयनित संगठन सूचना प्राप्त किये जाने के एक माह के भीतर विहित प्रारूप में उत्तर प्रदेश सरकार साथ एक संविदा करेंगे और अपेक्षित प्रतिभूति धनराशि/फीस जमा करेंगे। प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-
    1. ना0उ0वि0, उ0प्र0 प्रस्तावों का परीक्षण किये जाने के दौरान प्रशिक्षण संगठनों से कोई अन्य दस्तावेज/सूचना जिसे वह उचित समझें प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा कर सकता है।

       संगठन अपनी सेवायें और सुविधायें प्रदान करने हेतु ना0उ0वि0, उ0प्र0 को संदत्त करने वाली अपने फीस प्रतिशत से सम्बन्धित उद्धरण को बी.ओ.क्यू. में भी उदधृत और अपलोड करेंगे यदि उड्डयन सम्बन्धी क्रियाकलापों का दायित्व ग्रहण करने हेतु चयन किया जाता है।

       प्राप्त आवेदनों का प्रारम्भिक परीक्षण निदेशक नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा और परीक्षण के पश्चात राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार समस्त शर्तों को पूरा करने वाली संस्थाओं के आवेदन पत्रों सहित नाम निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समिति को अग्रसारित किये जायेंगे।
    2. यदि प्रशिक्षण देने वाला संगठन अपेक्षित सूचना निर्धारित अवधि के भीतर उपलब्ध नहीं कराता है या उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो ना0उ0वि0, उ0प्र0 उपलब्ध अभिलेखों पर विनिश्चय करने के लिए स्वतंत्र होगा।
    3. प्रशिक्षण देने वाला संगठन प्रस्ताव सहित सभी सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।

9. विवाद का निवारण :

यदि संविदा के क्रियान्वयन के दौरान दोनों पक्षकारों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्षकारों में से किसी के द्वारा माध्यस्थम किया जा सकता है। उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन को निर्दिष्ट किये जायेंगे जो एकमात्र मध्यस्थ होगा। एकमात्र मध्यस्थ द्वारा कृत विनिश्चय अंतिम होगा और दोनों पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के उपबंध ऐसे किसी माध्यस्थम के लिये लागू होंगे। माध्यस्थम का स्थान लखनऊ में होगा। कोई भी पक्षकार प्रथमत: माध्यस्थम के समक्ष अपना प्रत्योवदन प्रस्तुत कर सकता है। समस्त माध्यस्थम लखनऊ स्थित न्यायालय की अधिकारिता के अध्यधीन होंगे।

भाग - चार : तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रपत्र

अनुलग्नक-1 : संगठन/फर्म की सामान्य जानकारी

क्रम संख्या	विवरण	विवरण/ब्यौरा
क	संगठन का नाम	
ख	सम्पर्क सूत्र का विवरण	
	(क) पता	
	(ख) मोबाइल/दूरभाष	
	(ग) फैक्स	
	(घ) ई-मेल	
	(ड) वेबसाइट	
ग	अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम	
घ	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम और ई-मेल	

हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

.....के स्थान पर और उसकी ओर से प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत

दिनांक .....

स्थान .....

अनुलग्नक-2 : हवाई पट्टी के विकल्प का अनुपालन

क्रम संख्या	हवाई पट्टी की अवस्थिति	हाँ	नहीं
1.	धनीपुर (अलीगढ़)		
2.	सैफई (इटावा)		
3.	रसूलाबाद (कानपुर देहात)		
4.	मरहमताबाद (फर्रूखाबाद)		
5.	अकबरपुर (अम्बेडकरनगर)		
6.	अन्धऊ (गाजीपुर)		
7.	पलिया (लखीमपुर खीरी)		
8.	अमहट (सुल्तानपुर)		
9.	श्रावस्ती		
10.	आजमगढ़		
11.	चित्रकूट		
12.	म्योरपुर (सोनभद्र)		
13.	झाँसी		

टिप्पणी : हवाई पट्टी के विकल्प के अनुसार कृपया हाँ या नहीं पर सही का चिन्ह लगायें।

हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

.....के स्थान पर और उसकी ओर से प्रस्तावों पर

हस्ताक्षर करने हेतु सम्यक रूप से प्राधिकृत.....

दिनांक .....

स्थान .....

भाग - पाँच : वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रपत्र

अनुलग्नक -1 : लागत (परिव्यय) संक्षिप्ति का प्रारूप

1. बोलीकर्ताओं को सभी मूल्य विहित प्रारूप के अनुसार उपलब्ध कराना चाहिए। बोलीकर्ताओं को कोई स्थान अपूर्ण/रिक्त नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कोई स्थान प्रयोज्य नहीं है तो बोलीकर्ता को ऐसे सभी स्थान पर अवश्य 0 (शून्य) अंकित करना चाहिए।
2. समस्त करों, शुल्कों और उदग्रहणों, जहाँ कहीं प्रयोज्य संदेय हों, पृथक-पृथक उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
3. नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पास बोलकर्ता को किसी कर, शुल्क, उदग्रहण के सापेक्ष संदाय का साक्ष्य प्रस्तुत करने का निदेश देने का अधिकार सुरक्षित है।
4. नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु सभी करों, शुल्कों और उदग्रहण पर विचार करेगा।
5. बोलीकर्ता के लिए यात्रा, निवास, ठहरने और अन्य संबंधित मदों के कारण हुए अतिशय व्यय का कारण बताना होगा।

क्रम संख्या	विवरण	प्रति इकाई प्रतिशत दर (रूपए)	प्रयोज्य जी0एस0टी0 (रूपए)	कुल इकाई की लागत स्तम्भ (2+3)
	1	2	3	4
1.	धनीपुर (अलीगढ़) हवाई पट्टी के लिए अपनी सेवायें और सुविधायें देने के लिए अपनी फीस का प्रतिशत			
2.	सैफई (इटावा) हवाई पट्टी के लिए अपनी सेवायें और सुविधायें देने के लिए अपनी फीस का प्रतिशत			
3.	रसूलाबाद (कानपुर देहात) हवाई पट्टी के लिए अपनी सेवायें और सुविधायें देने के लिए अपनी फीस का प्रतिशत			
4.	मरहमताबाद (फर्रूखाबाद) हवाई पट्टी के लिए अपनी सेवायें और सुविधायें देने के लिए अपनी फीस का प्रतिशत			

5.	अकबरपुर (अम्बेडकरनगर) हवाई पट्टी के लिए अपनी सेवायें और सुविधायें देने के लिए अपनी फीस का प्रतिशत			
6.	अन्धऊ (गाजीपुर) हवाई पट्टी के लिए अपनी सेवायें और सुविधायें देने के लिए अपनी फीस का प्रतिशत			
7.	पलिया (लखीमपुर खीरी) हवाई पट्टी के लिए अपनी सेवायें और सुविधायें देने के लिए अपनी फीस का प्रतिशत			
8.	अमहट (सुल्तानपुर) हवाई पट्टी के लिए अपनी सेवायें और सुविधायें देने के लिए अपनी फीस का प्रतिशत			
9.	श्रावस्ती हवाई पट्टी के लिए अपनी सेवायें और सुविधायें देने के लिए अपनी फीस का प्रतिशत			
10.	आजमगढ़ हवाई पट्टी के लिए अपनी सेवायें और सुविधायें देने के लिए अपनी फीस का प्रतिशत			
11.	चित्रकूट हवाई पट्टी के लिए अपनी सेवायें और सुविधायें देने के लिए अपनी फीस का प्रतिशत			
12.	म्योरपुर (सोनभद्र) हवाई पट्टी के लिए अपनी सेवायें और सुविधायें देने के लिए अपनी फीस का प्रतिशत			
13.	झाँसी हवाई पट्टी के लिए अपनी सेवायें और सुविधायें देने के लिए अपनी फीस का प्रतिशत			

टिप्पणी: बोलीकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि तकनीकी प्रस्ताव/आवेदन के साथ इस प्रारूप को प्रस्तुत/अपलोड न करें।

संलग्नक-५

Expression of Interest (EoI)

for

Policy on Use of Airstrips for Training Programmes and Flying Clubs/ Academies in field of Aviation

Telephones:	0522-2436504	**Fax:**	(0522) - 2435780
Website :	www.cadup.gov.in	**e-mail:**	dgca.up@nic.in

S N	Particulars	Date	Time
1	Date of Publishing of EoI on e-Tender Portal http://etender.up.nic.in		
2	Downloading of EoI from e-Tender Portal as per specified manner in the website.		
3	Last date of Pre EoI Queries / Clarifications on e-mail id -		
4	Date of Response of Pre-EoI Queries		
5	EOI Submission Start Date at e-Tender Portal		
6	EOI Submission End Date at e-Tender Portal		
7	Opening of EoI Applications from e-Tender Portal		
8	Opening of Financial Bid	To be Informed later	

Place of Opening of EOI : Directorate of Civil Aviation,
Lucknow Airport, Lucknow
Uttar Pradesh-226009

Processing Fee:Rs.25,000.00 (Inclusive of GST) will be deposited through on-line process as specified mentioned manner in the web-site.

Civil Aviation Department,

Government of Uttar Pradesh

Table of Contents

SECTION I: LETTER OF INVITATION 4

SECTION II: GENERAL INSTRUCTIONS(GI) 7

SECTION III: Scope of Work 14

1. Introduction 14
2. Objective 15
3. List of Airstrips 16
4. Facilities to be provided by Department of Civil Aviation, UP to the Organisations 16
5. Obligations of the Organisations 18
6. Eligibility Criteria/ Qualification for Training Organisation 22
7. Evaluation of proposals 22
8. Procedure for Submission of Application 23
9. Redressal of Dispute 26

Section-IV: Technical Proposal Submission Form 26

Annexure-1: Organization / Firm's General Information 26

Annexure-2: Compliance for Choice of Air Strip 28

Section-V: Financial Proposal Submission Form 29

Annexure-1: Format of Cost Summary (BOQ) 29

SECTION I: LETTER OF INVITATION

1. Through this Expression of Interest (EOI), it is intended to invite online proposals for **EXPRESSION OF INTEREST (EOI)** for **"Policy on Use of Airstrips for Training Programmes and Flying Clubs/ Academies in the field of Aviation".**
2. Interested Organisations are advised to study the document carefully.
3. Submission of an Online proposal against this EOI shall be deemed to have been done after careful study of the document, with full understanding and its implications.
4. The Department of Civil Aviation, Government of Uttar Pradesh (CAD, UP) may, at its own discretion, extend the date for submission of an online proposal. In such cases, all the rights and obligations of the department and interested Organisations previously subject to the deadline, will thereafter be subject to the deadline as extended.
5. The EOI document is available on e-Tender portal http://etender.up.nic.in and also on CAD, UP website www.cadup.gov.in. Interested Organisations may view, download the EOI document and submit their "Online proposal" online only on e-Tender portal i.e. http://etender.up.nic.in, up to the date and time mentioned in the table below:

EOI Reference No.	.....
Purpose	Expression of Interest (EOI) Policy on Use of Airstrips for Training Programmes and Flying Clubs/ Academies in field of Aviation
Processing Fee	Demand Draft of Rs.25,000.00 (non-refundable) for each airstrip in favour of "Director, Civil Aviation, Government of Uttar Pradesh", payable through on-line processes as specified manner in the web-site before the last date of EoI submission.
Date of Publication of EOI notice	.....on e-Tender Portal http://etender.up.nic.in
Pre-EoI Queries / Clarifications	..... 2021 at .....Hours at CADUP e-Mail id -dgca.up@nic.in
Last date for submission of	.....2021 up to ..... Hours

Online proposal	
Site for Submission of Online proposal / application	http://etender.up.nic.in
EOI Inviting Officer	Director, Civil Aviation, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow Airport, Lucknow
Date of Opening of EOI Online proposal	.....2021 at ..... Hours or afterwards
Venue of Opening of Online proposal	Directorate of Civil Aviation, Govt. of Uttar Pradesh Lucknow Airport, Lucknow
CADUP email addresses	dgca.up@nic.in
Contact numbers	0522-2436504
Fax number	0522-2435780

6. Department reserves the right to cancel any or all the online proposals or annul the EOI process without assigning any reason thereof.
7. The interested Organisations must upload all the required documents electronically in the PDF format. It is suggested that the PDF Files should be made in grayscale using the minimum readable appropriate resolution so that the size of the files is minimized for fast uploading on the e-Tender portal http://etender.up.nic.in. The required electronic documents for each document label of Technical (Fee details, Annexure etcetera schedules/packets can be clubbed together to make single different files for each label. The size of Single label file should not exceed 20-25 MB size.

SECTION II: GENERAL INSTRUCTIONS (GI)

2.1. DEFINITIONS

In this EoI, the following terms shall be interpreted:

1. "GoUP" means the Civil Aviation Department, Government of Uttar Pradesh with which the selected Bidder signs the Contract or Agreement after the selection in the EoI. In this Project, the executive authority is "CAD,UP" which means Director, Civil Aviation Department, Government of Uttar Pradesh.
2. Interested Organisation means any Trust/Society/Company/Firm/PSU/FlyingClubs /Institution/Academy, as defined in 6.2 of EoI, working in the field of Conducting Training Programme in the field of Aviation.

2.2. PREPARATION AND SUBMISSION OF Online proposal

1. **Format and Signing of Online proposal:**

   The Interested Organisation shall prepare the electronic copy of the online proposal (in pdf format) and upload the online proposal on e-Tender Portal https://etender.up.nic.in through their firm's Digital Signature Certificate (DSC).

2. **Submission of Online proposal:**

   The interested Organisations should submit their EOI online only in the Submission module of e-Tender Portal https://etender.up.nic.in. The EOI shall be submitted only from the Proposal Submission Start Date till the Proposal Submission End Date and time given in the e-Tender Portal https://etender.up.nic.in. Interested Organisations are advised to submit the Online proposal well in advance.

   The proposal and all correspondence and documents shall be written in English. In case of accompanying literature or brochures etcetera being in a language other than English, a certified translation should accompany the documents as a part of the EoI. All proposals and accompanying documentation will become the property of CADUP and will not be returned. The interested Organisations should submit their Online Proposal considering the Server time displayed on the e-Tender Portal https://etender.up.nic.in. This server time is the time by which the

Online Proposal submission activity will be allowed till the permissible time on the last/end date of submission of online proposal indicated in the e-tender schedule.

Once the online Proposal submission date and time is over, the interested Organisations cannot submit their Online Proposal. The interested Organisations only shall be held responsible for any delay and whatsoever reason in submission of online Proposal.

The GoUP may, at its discretion extend this deadline for submission or opening of Online Proposal by amending the Online Proposal document, in which case all rights and obligations of the GoUP and interested Organisations previously subject to the deadline will thereafter be subject to the deadline as extended.

The procedure for submission of online proposals by the interested Organisations on e-Tender Portal https://etender.up.nic.in is already available on the e-Tender Portal (https: //etender.up.nic.in).

The interested Organisations have to follow the undermentioned instructions for submission of their Online proposal-

For participating in e-Tender through the Online portal system, it is necessary for the interested Organisations to be the registered users of the e-Tender portal http://etender.up.nic.in. For this, the interested Organisations have to register themselves by depositing a fee of Rs.6000/- (Rupees Six thousand only) in the office of U.P. Electronics Corporation Limited, 10, Ashok Marg, Lucknow-226 001 for getting a valid User ID and password and the required training/ assistance etc. on e-Tender portal http://etender.up.nic.in. The interested Organisations may contact U.P. Electronics Corporation Limited at 10 Ashok Marg, Lucknow. Ph. 0522-2286808, 2286809, e-mail: uplclko@gmail.com.

In addition to the normal registration, the Interested Organisation has to register with his/her Digital Signature Certificate (DSC) in the Online e-Tender portal system and subsequently he/she will be allowed to carry out his/her Online proposal submission activities. Registering the Digital Signature Certificate (DSC) is a one time activity till its validity. Before proceeding to register his/her DSC, the Interested Organisation should first log on to the e-Tender portal system

(http://etender.up.nic.in) using the User Login option on the home page with the Login Id and Password with which he/ she has registered as enumerated in the preceding paragraph above.

For successful registration of DSC on e-Procurement portal http://etender.up.nic.in the Bidder must ensure that he/she should possess Class-2/ Class-3 DSC issued by any one of certifying authorities approved by Controller of Certifying Authorities, Government of India. The Interested Organisation may also apply to the office of U.P. Electronics Corporation Limited, (UPLC) for getting DSC at the address given in the preceding paragraph above on a prescribed form available at UPLC's website www.uplc.in along with the payment of fee of Rs 1704/- per person. The Interested Organisation is also advised to register his/her DSC on e-Tender portal well in advance before Proposal submission end date so that he/she should not face any difficulties while submitting his/her Online Proposal against this e-Tender. The Interested Organisation can perform User Login registration/creation and DSC registration exercise as described in preceding paragraphs above even before Online Proposal submission date starts. The UPLC shall not be held responsible if the Interested Organisation tries to submit his/her Online proposal at the last moment before end date of submission since they could not submit due to DSC registration or any other technical problems.

The Interested Organisation can search for active Proposal through the "Search Active Proposal" link, select a Proposal in which he/she is interested in and then move it to 'My Proposal' folder using the options available in the Online Proposal Submission menu. After selecting and viewing the Proposal, for which the Interested Organisation intends to Online Proposal, from "My proposal" folder, the Interested Organisation can place his/her Proposal by clicking option available at website. Before this, the Interested Organisation should download the Proposal document and study them carefully. The Interested Organisation should keep all the documents ready as per the requirements of the online Proposal document in the PDF format.

After clicking the mentioned option in the web-site, the Interested Organisation will be redirected to the Terms and Conditions page. The Interested Organisation should read the "Terms & Conditions" before proceeding to fill in the processing fee offline payment details. After entering and saving the processing fee details, the Interested Organisation should click the "Encrypt &

Upload" option given in the online payment details form so that the "Proposal Document Preparation and Submission" window appears to upload the required documents for Technical Proposal Submission. Proposal submission and date and time, should tally with the details available in the scanned copy and the data entered during Online Proposal submission time otherwise the Online Proposal submitted will not be accepted.

Before uploading, the Interested Organisation has to select the relevant Digital Signature Certificate. He may be prompted to enter the Digital Signature Certificate password, if necessary. For uploading, the Interested Organisation should click the "Browse" button against each document label in Technical schedules/packets and then upload the relevant PDF files already prepared and stored in the Interested Organisation's computer. The required documents for Technical Proposal in schedules/packets can be clubbed together and upload it on e-tender portal.

The Interested Organisation should click "Encrypt" next for successfully encrypting and uploading of required documents. During the above process, the Proposal documents are digitally signed using the DSC of the Interested Organisation and then the documents are encrypted/locked electronically with the DSC's of the proposal openers to ensure that the Proposal documents are protected, stored and opened by concerned Proposal openers only.

After successful submission of an online proposal, a page giving the summary of Online Proposal submission will be displayed confirming the end of Online Proposal submission process. The Interested Organisation can take a printout of the Proposal summary using the "Print" option available in the window as an acknowledgement for future reference.

2.3. Deadline for Submission of Online proposal

Online proposals must be submitted by the interested Organisations on e-Tender portal http://etender.up.nic.in, not later than the date and time specified in this document.

The GoUP may extend this deadline for submission of online proposals by amending the EoI document, in which case all rights and obligations of the GoUP and interested Organisations previously subject to the deadline will thereafter be subject to the deadline as extended.

GoUP shall not consider any request for date-extension for online proposal-submission on account of late downloading of EoI documents by any prospective Organisations. Online proposals should be uploaded on e-Tender portal http://etender.up.nic.in on or before the date and time as mentioned in Section-I.

2.4. Late Online proposal

The server time indicated in the Bid Management window on the e-Tender portal http://etender.up.nic.in will be the time by which the Online proposal submission activity will be allowed till the permissible date and time scheduled in the EoI. Once the Online proposal submission date and time is over, the interested Organisations cannot submit his/her proposal. Interested Organisations has to start the online proposal Submission well in advance, so that the submission process passes off smoothly. The interested Organisations only, will be held responsible if his/her Online proposal is not submitted in time due to any reasons.

2.5. Withdrawal and Resubmission of Online proposal

At any point of time, interested Organisations can withdraw his/her online proposal submitted online before the online proposal submission ends date and time. For withdrawing, the interested Organisations should first log in using his/ her login Id and password and subsequently by his/ her Digital Signature Certificate on the e-procurement portal http://etender.up.nic.in. The interested Organisations should then select the "My Bids/Proposal" option in the Bid/Proposal Submission menu. The page listing all the Proposal submitted by the interested Organisations will be displayed. Click "View" to see the details of the proposal to be withdrawn. After selecting the "Bid/Proposal Withdrawal" option, the interested organisation has to click "Yes" to the message "Do you want to withdraw this proposal?" displayed in the Proposal Information window for the selected Proposal. The interested Organisations also have to enter the Proposal Withdrawing reasons and upload the letter giving the reasons for withdrawing before clicking the "Submit" button. The interested organisation has to confirm again by pressing the "Ok" button before finally withdrawing his/her selected Proposal. Once the interested organisation has withdrawn his /her Proposal he/she cannot re-submit this Proposal again.

The interested Organisations can resubmit his/ her Online proposal as and when required till the Proposal submission end date and time. The new one proposal will replace the Online proposal submitted earlier. The payment made by the interested Organisations earlier will be used for revised Online proposals and the new proposal submission summary generated after the successful submission of the revised Online proposal will be considered for evaluation purposes.

For resubmission, the interested Organisations should first log in using his/ her Login ID and Password and subsequently by his/ her Digital Signature Certificate on the e-Tender procurement portal http://etender.up.nic.in. The interested Organisations should then select the "My Bids" option in the Bid/proposal Submission menu. The page listing all the Bids submitted by the interested Organisations will be displayed. Click "View" to see the details of the Bid to be resubmitted. After selecting the "Bid Resubmission" option, click "Encrypt & Upload" to upload the revised Online proposal documents by following the methodology provided in clause 9 (submission of Online proposal) above.

The interested Organisations can submit their revised Bids/Proposal as many times as possible by uploading their Online proposal documents within the scheduled date & time for submission of Online proposal.

No Online proposal can be resubmitted subsequently after the deadline for submission of Online proposal.

2.6. Receipt and Opening of Online proposal by the CAD, U.P.

Interested Organisations are advised to submit their online proposal in `Two-Bid' system with Technical and Financial bids separately on e-Tender portal.

Please note that financials should not be quoted in the Technical Bid / Application. The financials should be quoted in the Financial Bid only. On receipt on e-Tender portal, the technical proposals will be opened first by EoI Evaluation Committee (EC) members in the office of Department of Civil Aviation, Lucknow.

Department will open all Online proposals, in the presence of interested Organisations authorized representatives who choose to attend at **Directorate of Civil Aviation, Government of Uttar Pradesh, Lucknow Airport, Lucknow** at date and time mentioned in Section-I. The interested Organisations representatives who are present shall record their attendance on the attendance sheet. In the event of the specified date of online proposal opening being declared a holiday for the CAD, UP/ Tender Inviting Authority, the Online proposal shall be opened at the appointed time and place on the next working day.

The interested Organisations names, presence and other details as the CAD, UP/ Tender Inviting Authority at its discretion may consider appropriate, will be announced at the opening of the Online proposal. The names of such interested Organisations not meeting the qualification requirement shall be notified subsequently.

After evaluation of technical proposal, CAD,UP shall notify those interested Organisations whose Online proposal were considered non-responsive to the conditions of the contract and not meeting the Qualification Requirements indicating that they did not technically qualify for this EoI. The CAD,UP will simultaneously notify on the e-Tender portal http://etender.up.nic.in, whose technical Online proposal / Applications were considered acceptable and have been shortlisted for opening of their financial Online proposal.

1. Introduction

The Civil Aviation Department, Government of Uttar Pradesh (CAD,UP) has seventeen (17) airstrips in its operational territory. CAD,UP has been utilising these airstrips for the operation of both Rotary and Fixed Wing aircrafts.

The Air Operations taken up and carried out by CAD,UP are purely as per requirements of VVIPs/VIPs of the State Government or to carry out other operations which are mandated by the State Government. The State-owned airstrips are well maintained and possess adequate infrastructure for carrying out other flight related activities, like running of the Flight/Pilot Training Programme/ Aircraft Maintenance Training Programme or any other aviation related training programme or any Flying Club/ Academy, duly authorised by appropriate authority. The State-owned airstrips are well secured and offer great opportunity for flight training/ maintenance training and for running a Flying Club/ Academy. These airstrips could be well utilized, as they are at locations having good weather conditions for most part of the year and are very well connected. The Government of Uttar Pradesh is committed to provide a prompt, helpful, transparent and conducive environment to facilitate the growth of organisations investing in the state. The State Government has expressed its intention to boost the aviation sector through the development of Noida International Greenfield Airport in PPP mode in collaboration with Zurich International Airport AG. The State Government is also in the process of developing 7 new airports across the State. Similarly, the Government is committed to promote organisations who are keen to establish training facilities/ flying clubs/ academies in the aviation sector in the state.

2. Objective

The main objective of this policy on use of Air Strips for training programmes and Flying Clubs/Academies in the field of aviation is -

- Optimum utilization of aviation related infrastructure available with the Department of Civil Aviation, Government of Uttar Pradesh (hereinafter mentioned as 'GoUP') for conducting flight/Pilot / maintenance training or any other aviation related training programme by certified Flight/Pilot Training/ Maintenance Training Organisations or for running Flying Clubs/ Academies (hereinafter mentioned as '**Organisations**').
- To provide a conducive environment for the training and flying Ecosystem in the aviation sector in the state.

- To tap the unutilised potential of various available infrastructure of the Civil Aviation Department like airstrips, hangars, terminal buildings, parking areas, guest houses etc.
- To meet the growing demand of trained aviation personnel in the aviation sector by providing a professional environment.
- To generate and expand the employment opportunities in both technical/non-technical sectors.
- To develop the State of Uttar Pradesh, as the Hub for aviation related training programmes and activities by facilitating the various flight/Pilot Training Organisations/Clubs/Academies.

3. List of Airstrips

Director, Department of Civil Aviation, Uttar Pradesh (herein after referred to as CAD, UP) is currently considering to offer the following state-owned airstrips. CAD, UP may grant permission to Organizations to use the following airstrips for exclusive purpose of training for DGCA approved aviation related courses for pilots, engineers, technicians, flight dispatchers, cabin-crew etc.. :-

1. Dhanipur (Aligarh)
2. Saifai (Etawah)
3. Rasulabad (Kanpur Dehat)
4. Marhamtabad (Farrukhabad)
5. Akbarpur (Ambedkar Nagar)
6. Andhau (Ghazipur)
7. Palia (Lakhimpur Kheri)
8. Amhat (Sultanpur)
9. Shravasti
10. Azamgarh
11. Chitrakoot
12. Myorpur(Sonbhadra)
13. Jhansi
14. Any other airstrip (as specified and authorised from time to time for this specific purpose by the Government of Uttar Pradesh)

The above airstrips, as and when available, may be utilized for setting up Flying Training Institute / Aircraft Maintenance TrainingInstitute/ / Flying Academy or any other institution for imparting any training or other activity related to the aviation sector subsequent to selection through due process by the State Government.

4. Facilities to be provided by Department of Civil Aviation, Uttar Pradesh to the Organisations

The following facilities will be made available to the Organisations by Department of Civil Aviation, Uttar Pradesh -

1. Permission,subject to certain conditions, to use the airstrip owned by Government of Uttar Pradesh allotted to the Organisation by the GoUP.

2. Permission to use hangar(s) at identified airstrips, for the maintenance and housing of aircrafts, with prior approval of GoUP. Hangar(s) will be allotted to the Organisation at an additional cost/ rent determined by GoUP from time to time. Hangar(s) may be taken back, on six months' prior notice at any point of time during the agreement period, by Go UP, if required.

3. Permission to use structures/buildings (wholly or partially), at selected airstrips, with prior approval of the GoUP. Structures/ buildings will be allotted to the Organisation at an additional cost/ rent determined by the CAD, UP from time to time.The structures/ buildings may be taken back, on six months' prior notice at any point of time during the agreement period, by the GoUP, if required.
4. Permission for use of land (subject to availability), for creating training facilities with the prior approval of GoUP. Land will be allotted to the Organisation at an additional cost/ rent determined by the CAD, UP from time to time. Land may be taken back, on six months' prior notice at any point of time during the agreement period, by GoUP, if required. On the expiry/ termination of the agreement, any building or infrastructure (immoveable) created on the allotted land by the Organisation will become the property of the and shall be vested in GoUP.

5. Permission, as per the requirement of the training program, to use Saifai (District Etawah) airstrip for night landing (on payment of additional fee as decided by CAD, UP).

6. The cost of damage to the runway, hangar or any other infrastructure, if any, caused by the Organisation, shall be payable by the Organisation to CAD, UP as per the assessment of damage, after joint inspection of the same.

7. The Government may allow the usage of one airstrip to more than one Organisation on a sharing basis. A maximum of four Organisations can be allowed to conduct training programmes at one airstrip depending upon the type of training(s) to be conducted, it's training capacity, infrastructure needs and infrastructure available at the airstrips. The decision regarding the number of Organisations permitted at any airstrip will be taken by the Director, CAD, UP. The timings for undertaking their activities shall be worked out by the Organisations amongst themselves; however, in case of any dispute, the matter shall be referred to the GoUP who's decision shall be final and binding.

8. All the necessary clearances/licenses/approvals/permissions as required for the purpose of running a flight/ pilot training/ maintenance training institute/ flying club/ flying academy, shall be obtained by the Organisation from all the regulatory authorities like DGCA, Government of India, BCAS, local authority etc, before the commencement of operations.

9. The Organisation shall ensure that the airfield is available for operations (e.g. landing, takeoff & parking) of the aircraft owned by the CAD, UP and any scheduled/non-scheduled flight operator authorised by the Ministry of Civil Aviation, Government of India or the CAD, UP or local authorities as and when required by them. The Organisation shall not be entitled for any damage or compensation, whatsoever, for the same.

10. The Organisation shall provide required ground handling facilities to all state aircraft using that airstrip at any point of time. In case, more than one Training Organisation is using the Airstrip, the Director, CAD, UP will have the liberty to decide the roster according to which these services shall be provided by these Organisations. No charges shall be paid by the CAD, UP to the Organisation providing these services.

11. The competent authority of GoUP or a person duly authorised by the Civil Aviation Department, Govt of Uttar Pradesh may carry out the inspection of the airfield and the infrastructure, from time to time, as and when required and in case of any lapses found, CAD, UP may direct the organisation to maintain the facility in appropriate manner.

12. Organisation shall have to submit quarterly reports regarding the details of activities/flying statement being carried out by them to the CAD, UP/Director, Civil Aviation in the required format.

13. Organisation shall have to ensure strict compliance of the terms and conditions enumerated in the agreement with the GoUP. Any negligence/omission by the Organisation, leading to a breach of the terms & conditions of the agreement may lead to penal action as enumerated in the agreement.

14. With the approval of the GoUP, CAD UP may cancel or withdraw any permission expressed in EoI in the larger public interest.

5. Obligations of the Organisations

The role of the selected Organisation will be as follows: -

1. The Selected Organisation, after obtaining due clearance from the CAD,UP, shall establish the facility with requisite infrastructure for Flight/Pilot Training/ Aircraft Maintenance Training or any other training programme or Flying Club/ Academy related to aviation at the allotted airstrips. The layout and design of the facility shall be submitted to CAD, UP which may communicate its consent, subsequent to scrutiny, (subject to fulfillment of norms) to the Organisation.

2. The Selected Organisation shall follow the prevail Policy of this EoI strictly and shall also be responsible to ensure the compliance with all the regulatory requirements of Directorate General of Civil Aviation(DGCA), Government of India such as CAR, Indian Aircraft Act 1934, Indian Aircraft Rules 1937, labour Act(s)/ Rule(s), BCAS and any other statutory requirement under any law prevailing in India and the State of Uttar Pradesh.

3. The Selected Organisation shall obtain all the requisite clearances/ approvals/ licenses from the Director General Civil Aviation, Government of India and all other Regulatory Authorities which are mandatory for the commencement and operation of the training or any otheraviation related activities permitted by CAD, UP.

4. The Selected Organisation shall ensure the provision of all mandatory and necessary facilities for the users, which are required for the smooth, safe and efficient conduct of the training programme(s) or other activities as mandated by the appropriate authority, at their own expense and risk.

5. The Selected Organisation will submit its comprehensive infrastructure development plan proposed for conducting its activities and shall obtain clearance of CAD, UP. Any immovable infrastructure created by any Organisation, during the course of carrying out its activities, will become the property of the Department of Civil Aviation, Government of Uttar Pradesh, after the expiry of the permission of the use of the airstrip.

6. The Selected Organisation shall not, in any manner, interfere in the usage of the airstrip (and all other infrastructure facilities belonging to the CAD, UP) by the State Government, the concerned District Magistrate of the district or any agency, authority or person(s) duly authorised by the CAD, UP or the concerned District Magistrate.

7. The Selected Organisation shall make all provisions to protect & prevent the property from fire and other hazards by installing all necessary fire safety, fire fighting and other equipment as per norms, and shall obtain NoC from the Fire Services Authorities on its own, for the activities to be carried out by the Organisation.

8. The security of the premises and the access control shall be the responsibility of the Selected Organisation and sufficient security personnel shall be deployed for the same. Identity cards may be issued to all faculty members, staff, trainees or any other duly authorised person of the Organisation and entry of any unauthorized person will be totally prohibited. However, officials of State Government/ District Administration or officials duly authorised by the CAD/ District Administration will have the right of entry on production of their valid identity cards.

9. The Selected Organisation shall ensure the insurance coverage of buildings/ facilities created by it. It shall also insure all its employees/trainees associated with the training process. The CAD, UP will not be responsible for any loss of life or property, whatsoever.

10. The permission granted to the Selected Organisation with regard to use of airstrip and allied infrastructure will be purely of temporary nature and the CAD, UP will have the right to withdraw this permission at any time on a six month's prior notice. There will be no objection raised by the organisation in this regard nor will any payment or reimbursement be made for it by the State

Government. From the date of withdrawal of permission for use of airstrip and on issuance of notice of cancellation of the contract, no student will be admitted/registered by the organisation;If any registration of a student is done by the organisation, in that case registration will not be considered valid.

11. The Organisation will also be allowed to exit the agreement with a three month's prior notice to the GoUP.

12. The Selected Organisation will not be allowed to use the airstrip or any other infrastructure related to it for any purpose other than the activities authorized by the CAD, UP.

13. The Selected Organisation shall be responsible for maintenance & repair of all the installations, buildings and hanger at their own cost.

14. Commercial use of airstrip and associated infrastructure except as authorised by the CAD, UP in any form, by the Selected Organisation or any other person will be totally prohibited and any violation will attract heavy penal action amounting to seizure of the Security Deposit and recovery of the amount of money earned by Organisation through the unauthorised use of the property.

15. The Selected Organisation shall bear all the expenses related to electricity, water, sanitation, drainage, security, fire safety etc. at the selected airstrip for the facilities and services used by it for carrying out its activities.

16. The Selected Organisation shall deposit a Security Amount of Rs. 10 Lakh in the form of Bank Guarantee in favour of Government of Uttar Pradesh as determined by the GoUP. The Security Deposit will be forfeited in case of breach of any condition mentioned in the agreement between the two parties.

17. The Selected Organisation shall pay a Fixed Airstrip Usage Fees of Rs. 10 Lakh per year for the use of each airstrip. At the time of agreement, an amount of Rs.50 Lakh shall be deposited by the Organisation for the first 05 years and for the remaining 05 years Rs. 50 Lakh shall be

deposited by the organization in the first month of the 5th year. The annual charges for hangars, building(s) (where applicable) and other facilities will be determined separately from time to time.

18. The Organisation shall also pay Per Student Fees equivalent to minimum 3% or as quoted in tender, of the Gross total fee (excluding GST and charges payable to DGCA) collected by it from each user of its services/ facilities every quarter (for the last quarter till the 7th day of each quarter).Number of students / participants will be certified / verified by DGCA (or concerned District Magistrate in cases where DGCA does not record the student data). Fees will be determined by the Organisation and communicated to CAD, UP. The charges/fees collected may vary from student to student, but this variation should not be more than 10% for the purpose of calculation of Training Fees. The documents/accounts of the Organisation may be audited by CAD, UP directly or through an agency appointed by it with a limited purpose to verify the declaration about the Number of Student / Participants and Fees collected is appropriate.

19. The airstrip, hangar and other facilities (subject to the payment of required fees) will be provided to the selected Organisation for use for a period of 10 years and the contract will be executed accordingly. This contract will come to an end on completion of the contractual period.

20. The Director CAD, UP will review compliance of the contractual terms by the Organisation every year. The permission will be revoked if any condition of contract is violated by the Organisation. The decision in the case of violation of contract by the Organisation will be taken by the GoUP.

6. Eligibility Criteria/ Qualification for Training Organisation

The following eligibility /qualifications shall be fulfilled by the Organisation, for submission of application for the use of airstrip and allied infrastructure: -

1. The Organisation should be approved by a competent authority either within India or outside to run the aviation related activities that it intends to undertake. In case of any dispute/doubt regarding the competence of an international authority to approve such programmes, requisite clarification and guidance shall be sought from the Director General of Civil Aviation (DGCA), India and DGCA decision in this regard shall be final;
2. The Manager, Chairman and member(s) of the organisation are required to be citizen(s) of India

or

In case of being a firm, the partners of the firm should be citizens of India

or

A group, the members of which are citizens of India or a trust/ society registered under the Registered Society Act 1860

or

Overseas Corporate Body having office in India

or

A company registered in India under the Companies Act 2013 (formerly 1956) having office in India

or

Central Government or State Government Undertaking.

3. The total Capital or Paid-up-Capital of the organisation / firm / company / group etc. should be more than Rs 5.00 crore.

7. Evaluation of proposals

The proposals received will be examined/evaluated by following expert committee: -

1.	An officer nominated by the Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Civil Aviation, of the level of Secretary to the Government of Uttar Pradesh or above	Chairman
2.	Deputy Director of Airworthiness, Civil Aviation Department, Government of Indiaor an officer nominated by DGCA	Member
3.	Finance Controller, Civil Aviation, UP	Member
4.	Chief Engineer, Civil Aviation, UP	Member
5.	Principal Lecturer, Aeronautical Training Institute, UP	Member
6.	Officer-in-Charge (Airstrip), Civil Aviation, UP	Member
7.	One Pilot of CAD UP, nominated by the Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Civil Aviation	Member
8.	Director, Civil Aviation, UP	Member Secretary

The Director, Civil Aviation, Uttar Pradesh will be authorized by the GoUP to sign the documents and issue any communication.

The GoUP may accept or reject any or all the proposals without assigning any reason.

8. Procedure for Submission of Application

The procedure for submission of application will be as follows: -

1. Expressions of Interest (EOI) can be downloaded from the e-Tender portal http://etender.up.nic.in and shall also be availableon the website of the Civil Aviation Department i.e. www.cadup.gov.in.

2. The interested Organisation shall submit a processing fee of Rs. 25000/- (non-refundable) for each airstrip in the form of on-line process in favour of "Director, Civil Aviation, Uttar Pradesh", which is specified in the website of CAD,UP on or before the last date of EoI submission on e-Tender portal, failing which application shall be rejected. Fees can only be deposited through online transfer.

3. The copy of this online transaction along with Application / Proposal should be uploaded on e-Tender portal for future reference.

4. The interested Organisation may upload their Expression of Interest (EOI) for training at one or more of the above airstrips on e-Tender portal.

5. Permission may be granted by CAD, UP to more than one Organisation at one airstrip for undertaking aviation related activities, subject to a maximum of four Organisations per airstrip.

6. The interested Organisation will mention the name of one or more places (airstrip/s) of his interest in the Expression of Interest (EOI).

7. Each interested Organisation shall also have to submit the percentage of its fee for offering its services and facilities, that it would pay to the CAD, UP, in case of being selected for undertaking the aviation related activities proposed to be offered by it. In case more than four Organisations apply for any airstrip, and are technically qua lified to conduct its operations, four Organisations offering to pay the highest share of fee to the CAD, UP being charged by them, shall be allowed to offer its services and facilities.

8. The interested organizations should not quote their financial i.e. percentage of fee in the EoI Application / Proposal. The EoI / Bid/Proposal has two cover system :-

   (i) Technical i.e. EoI Application / Proposal

   (ii) Financial i.e. Percentage of Fee for offering services

9. Since it is a two bid cover system, hence the financials shall be quoted in BOQ, which can be downloaded from e-Tender portal and same shall be uploaded on e-Tender portal.

10. The interested Organisations which apply for more than one airstrip will be counted as separate entities for each airstrip.

11. The interested Organisations shall submit their proposals on-line through e-Tender portal http://etender.up.nic.in. It is mandatory to attach a scan copy of all necessary documents as mentioned in the EOI and upload it on e-Tender ortal under Technical Proposal/Bid Cover.

12. The Organisations shall also quote and upload the percentage of fee in BoQ, which is to be also uploaded on e-Tender Portal. interested Organisations willing to pay the percentage fee to the CAD,UP from the fee being charged by them from the users of its services and facilities. The applications received will be preliminary examined by the Director, Civil Aviation, Uttar Pradesh and after examination, the name of the institutions which fulfill all the conditions as per the policy laid down by the State Government, will be forwarded to the expert committee constituted for this purpose along with the application by the Director, CAD, UP. The Committee will submit its recommendations to the Director who will send a proposal to the State Government. The final decision will be taken by the Department of Civil Aviation, Government of Uttar Pradesh.

13. The selected Organisations will enter into a contract with the GoUP in the prescribed format within one month from the receipt of intimation and deposit the required security money / fee. All relevant details shall be mentioned in the contract.

The following procedure will be followed for clarification, if any, on the proposals: -

1. The CAD, UP may require the production of any other document/information as it may deem fit, from the Training Organisations for examining the proposals.

2. If the Training Organisation does not provide or fails to provide the required information within the stipulated period, then the CAD, UP will be free to make a decision, on the basis of available records.

3. The Training Organization will be bound to provide all the information along with the proposal.

9. Redressal of Dispute:

In case any dispute arises between two parties during the implementation of a contract, arbitration can be done by either of the two parties. All disputes arising out shall be referred to the Principal Secretary, Law, Judicial Department, Government of Uttar Pradesh, who shall be Sole Arbitrator. The decision taken by the Sole Arbitrator shall be final and binding on both the parties.The provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply. Place of arbitration shall be at Lucknow. Either party can first submit their representation before the arbitrator. Subject to Jurisdiction of Court shall be at Lucknow.

Section-IV: Technical Proposal Submission Form

Annexure-1: Organization / Firm's General Information

S. No	Particulars	Description/Details
A	Name of Organisation	
B	Contact Details	
	a. Address	
	b. Mobile/Telephone	
	c. Fax	
	d. email	
	e. Website	
C	Name of Chairman/ Managing Director / CEO etc.	
D	Name, Designation & email of Authorized signatory	

Signature .....

In the capacity of .....

Duly authorized to sign proposals for and on behalf of .....

Date.....

Place.....

Annexure-2: Compliance for Choice of Air Strip

SN	Location of Air Strip	Yes	No
1.	Dhanipur (Aligarh)		
2.	Saifai (Etawah)		
3.	Rasulabad (Kanpur Dehat)		
4.	Marhamtabad (Farrukhabad)		
5.	Akbarpur (Ambedkar Nagar)		
6.	Andhau (Ghazipur)		
7.	Palia (Lakhimpur Kheri)		
8.	Amhat (Sultanpur)		
9.	Shravasti		
10.	Azamgarh		
11.	Chitrakoot		
12.	Myorpur(Sonbhadra)		
13	Jhansi		

Note– Please tick the √in "Yes" or "No" columns as per Airstrips choice.

Signature .....

In the capacity of .....

Duly authorized to sign proposals for and on behalf of .....

Date.....

Place.....

Section-V: Financial Proposal Submission Form

Annexure-1: Format of Cost Summary (BOQ)

1. Bidder should provide all prices as per the prescribed format. Bidders should not leave any field blank. In case The field is not applicable, Bidder must indicate "0"(Zero) in all such fields.
2. It is mandatory to provide breakup of all Taxes, Duties and Levies wherever applicable and / payable.
3. Department reserves the right to ask the Bidder to submit proof of payment against any of the taxes, duties, levies indicated.
4. Department shall take into account all taxes, duties levies for the purpose of evaluation.
5. The Bidder needs to account for all out of pocket expenses due to Travel, boarding, lodging and other related items.

SN	Description	Unit Percentage Rate (Rs.)	Applicable GST Rs.	Total Unit Cost Col (2+3)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	The percentage of its fee for offering its services and facilities for Dhanipur (Aligarh) Air Strip			
2	The percentage of its fee for offering its services and facilities for Saifai (Etawah) Air Strip			
3	The percentage of its fee for offering its services and facilities for Rasulabad (Kanpur Dehat) Air Strip			

4	The percentage of its fee for offering its services and facilities for Marhamtabad (Farrukhabad) Air Strip			
5	The percentage of its fee for offering its services and facilities for Akbarpur (Ambedkar Nagar) Air Strip			
6	The percentage of its fee for offering its services and facilities for Andhau (Ghazipur) Air Strip			
7	The percentage of its fee for offering its services and facilities for Palia (Lakhimpur Kheri) Air Strip			
8	The percentage of its fee for offering its services and facilities for Amhat (Sultanpur) Air Strip			
9	The percentage of its fee for offering its services and facilities for Shravasti Air Strip			
10	The percentage of its fee for offering its services and facilities for Azamgarh Air Strip			

11	The percentage of its fee for offering its services and facilities for Chitrakoot Air Strip			
12	The percentage of its fee for offering its services and facilities for Myorpur(Sonbhadra) Air Strip			
13	The percentage of its fee for offering its services and facilities for Jhansi Air Strip			

Note– Bidders are advised not to submit / upload this format along with Technical Proposal / Application.